


राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

Per Drop More Crop
Under the umbrella of RKVY

कार्यक्रम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

2022-23



Layout of Drip Irrigation System

उद्यान आयुक्तालय राजस्थान
पंत कृषि भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.ext.hort@rajasthan.gov.in)


क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/1614-1920

दिनांक: 08.07.2022

- (1) संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड कोटा, जयपुर एवं जोधपुर।
- (2) उप निदेशक उद्यान संभाग भरतपुर, उदयपुर, जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर।
- (3) उप निदेशक उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
- (4) सहायक निदेशक उद्यान, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर बून्दी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरौही, स.माधोपुर, करौली, श्रीगंगानगर, टोंक।

विषय:- राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के वर्ष 2022-23 हेतु क्रियान्वयन दिशानिर्देश जारी करने बाबत।


राज्य सरकार द्वारा कृषि बजट में कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल के दक्षतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए इसे मिशन के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 के बिन्दू 133 (1) के अनुसार आगामी तीन वर्ष के दौरान 4 लाख किसानों को रुपये 1705.00 करोड़ की अनुदान सहायता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित किये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट बिन्दू 70-71 में भी 3 वर्ष के दौरान 4.30 लाख हैक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित किये गये हैं। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम के वृहत क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन के मध्यनजर वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 में जारी दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन दिशानिर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। योजना का आपके स्तर पर जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन संलग्न दिशानिर्देशानुसार सुनिश्चित करावें।


(चेतन देवड़ा)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/1614-1920

दिनांक: 08.07.2022

1. संयुक्त सचिव, RFS, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी,.....
5. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
6. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य, जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
7. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
8. संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड, जयपुर/कोटा/भीलवाड़ा/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर/सीकर/बीकानेर/जालोर/श्रीगंगानगर/इ.गा.न.प. बीकानेर/सी.ए.डी., कोटा
9. उप निदेशक उद्यान, शष्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
10. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....
12. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
13. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार).....
14. उप निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर


(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार)

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

प्रति बूंद ज्यादा फसल—Per Drop More Crop (PDMC)—2022—23

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना

परिचय

राज्य में उपलब्ध जल की कमी तथा सिंचाई दक्षता के मध्यनजर कृषि/उद्यान विभाग द्वारा किसी न किसी केन्द्रीय/राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 से फव्वारा व ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में जनवरी 2006 से सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS) शुरू की गई जिसका उन्नयन क्रमशः राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI-June 2010), ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेन्ट (OFWM-NMSA-April 2014), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-PDMC-MI-April 2015) तथा प्रति बूंद ज्यादा फसल—Per Drop More Crop (PDMC)—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (अप्रैल 2022) के रूप में किया गया।

जहां तक फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम को राज्य के कृषकों द्वारा अपनाये जाने का प्रश्न है, राज्य के किसानों द्वारा अत्यधिक रुचि दिखाई गई है। फव्वारा सिंचाई तकनीक द्वारा जल बचत के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक, आर्थिक—सामाजिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां प्रबल रूप से सहायक रही हैं। वास्तविक रूप से इसके परिणाम आकर्षित करने वाले रहे व इसी आधार पर सम्पूर्ण देश में राजस्थान राज्य फव्वारा तकनीक के तहत सिंचित क्षेत्र (मार्च 2021 तक लगभग 13 लाख हैक्टेयर) दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है।

बूंद-बूंद सिंचाई के अनेकानेक फायदे होने के बावजूद इसके प्रगति परिणाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से वांछित नहीं रहे हैं। अन्य राज्यों जैसे—आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बूंद-बूंद संयंत्र स्थापन क्षेत्र की बजाय राजस्थान का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम है तथा मार्च 2021 तक लगभग 2.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक के तहत सिंचित किया जा सका है। महंगे संयंत्र, जागरूकता की कमी, कम बागान क्षेत्र, तकनीकी जानकारी का अभाव, तकनीकी रूप से सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क की कमी तथा संयंत्र रख-रखाव की जानकारी का अभाव आदि बूंद-बूंद सिंचाई की न्यून प्रगति के प्रमुख कारण रहे हैं।

राज्य में सीमित सिंचाई जल संसाधन एवं इसके दक्षतम उपयोग के महत्व के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों के बजट में इस तकनीक को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की घोषणा करते हुए इस हेतु विशिष्ट प्रावधान किये हैं तथा राज्य बजट वर्ष 2022-23 के बिन्दू 133(1) के तहत आगामी तीन वर्षों के दौरान वृहत स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को क्रियान्वित करने हेतु रूपयें 1705.00 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित करने के साथ-साथ संभागीय स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने प्रस्तावित किये गये हैं।

आधुनिक सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई जल के समुचित एवं दक्षतम उपयोग सुनिश्चित किया जाकर राज्य की वर्तमान सिंचाई दक्षता में प्रभावी वृद्धि किया जाना संभव है। बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली जो कि जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूक्ष्म सिंचाई योजना की अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है, के क्षेत्रफल में व्यापक रूप से वृद्धि पर अधिसक्रिय आधार पर कार्य की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादन एवं इसकी गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि हेतु उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा फर्टीगेशन एवं ड्रिप ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जाना आवश्यकता है।


(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

सूक्ष्म सिंचाई के घटक


(अ) बूंद-बूंद सिंचाई पद्धतियाँ:

1. **ड्रिप सिंचाई:** ड्रिप सिंचाई में पाईपों के नैटवर्क (मेन, सबमेन तथा लेटरल) पर लगे उत्सर्जक (एमिटर) के माध्यम से पौधों की जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उत्सर्जक डिवाइस में ड्रिपर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी-स्प्रिंकलर, माइक्रो-जेट, मिस्टर्स, फैन-जेट, माइक्रो-स्प्रेयर, फोगर्स आदि हो सकते हैं जो निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाह के लिए तैयार किए जाते हैं। विभिन्न उत्सर्जक (एमिटर) का उपयोग विशिष्ट जरूरत पर निर्भर करता है जो फसल-दर-फसल अलग-अलग होता है। जल आवश्यकता, पौधे की आयु, पौधों की परस्पर दूरी, मृदा की किस्म, जल गुणवत्ता तथा उपलब्धता आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो उत्सर्जन (एमिटिंग) प्रणाली के विकल्प को निर्धारित करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की यूनिट लागत पौधे की दूरी तथा जल स्रोत के स्थान पर अलग-अलग होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का मुख्य रूप से सब्जियों, फल-बगीचों तथा नकदी फसलों यथा कपास आदि में प्रचलन है तथापि इस तकनीक की न्यून अन्तराल ड्रिप का उपयोग फसल चक्र में अधिकांश फसलों में किया जा सकता है।
2. **सूक्ष्म (माइक्रो) स्प्रिंकलर (3 मीटर त्रिज्या तक की दूरी तक प्रवाह):** सूक्ष्म स्प्रिंकलर का उपयोग ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों, उद्यानिकी पौधों को ठोस व मजबूत करने तथा कुछ चुनी सब्जियों के लिए सिंचाई हेतु किया जाता है। सिंचाई प्रदान करने के अलावा सूक्ष्म स्प्रिंकलर से पौधे के नजदीक की सूक्ष्म जलवायु को परिवर्तित करने में मदद मिलती है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का त्रिज्या क्षेत्र कम होता है तथा स्प्रिंकलर के बहाव की त्रिज्या 3 मीटर तक जाती है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का बहाव 20 से 150 ली./घण्टा होता है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का चयन फसल, मृदा की किस्म आदि पर निर्भर करता है। इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों व जलवायु संवेदनशील फसलों में किया जाता है।
3. **मिनी स्प्रिंकलर (3 – 10 मी. त्रिज्या दूरी तक प्रवाह):** मिनी स्प्रिंकलर एक मध्यम दूरी की स्प्रिंकलर प्रणाली है जिसकी त्रिज्या 3 मी. से 10 मी. के बीच है। इन स्प्रिंकलरों से प्रवाह 150 से 600 ली./घण्टा के बीच होता है। निकट उगाई जाने वाली फसलों में इसका सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है जैसे मूंगफली, आलू, प्याज, अदरक, चारा फसले आदि। मिनी स्प्रिंकलर पाले से बचाव के लिए भी उपयुक्त है।

सूक्ष्म स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली ड्रिप प्रणाली से अलग है क्योंकि इसकी उत्सर्जन प्रणाली राईजर एवं स्टेक्स की मदद से जमीन के उपर लगी होती है। इसका उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है और इसकी परिधि में आने वाली सभी खड़ी फसलों की इससे सिंचाई की जा सकती है। तदानुसार, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ईकाई लागत की तुलना में सूक्ष्म स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत काफी ज्यादा होती है। अतः सामग्री के बिल के साथ-साथ खेत में स्थापित उपकरण की जांच के द्वारा ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म तथा मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान क्रियान्वयन करते समय क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्ण सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।

(ब) फव्वारा सिंचाई पद्धतियाँ: (12-18 मी.)

फव्वारा सिंचाई में पानी को उच्च घनत्व वाली पॉलीथलीन (एचडीपीई) पाईप में लगी नोजल्स के द्वारा हवा में दबाव के साथ छोड़ा जाता है। यह स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है जहां पौधों की सघनता काफी ज्यादा होती है। अनाज, दाल, बीज, मसाला तथा अन्य फील्ड फसलों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

1. **पोर्टेबल सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली:** पोर्टेबल सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली में एचडीपीई पाईप का उपयोग किया जाता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार की सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली में पानी को 12 मी. से 18 मी. तक फेंका जा सकता है इसमें 1200 से 1800 ली./घण्टा प्रवाह होता है। इसका उपयोग मैदानी तथा लहरदार दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।
2. **अर्ध-स्थायी सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली:** इस प्रकार की सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली में मेनलाईन तथा लैटरल लाईन के पाईप नैटवर्क को लैटरल लाईन पर लगे राईजर के साथ लगा दिया जाता है। सिप्रंकलर नॉजल को प्रत्येक राईजर पाईप पर लगाया जाता है और इसे फसल को पानी जरूरत के अनुसार सिंचाई वाले जरूरी स्थान में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है।
3. **अधिक घनफल वाली सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन):** अधिक घनफल वाली सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन) का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक या दो सिप्रंकलर से विशाल क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। इन सिप्रंकलरों के बहाव की दूरी 10,000 से 32,000 ली./घण्टा और पानी फेंकने की त्रिज्या 24 मीटर से 36 मीटर होती है। चूंकि इस प्रणाली में विशाल क्षेत्र शामिल होता है। अतः इन्हें चलाने के लिए उच्च दबाव तथा उच्च बहाव वाले पाईप तथा पम्प की जरूरत होती है। इनके इस्तेमाल से कम समय में विशाल क्षेत्रों में फैली फसल की सिंचाई की जाती है।


(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान हेतु क्रियान्वयन दिशा-निर्देश वर्ष 2022-23

अ. सामान्य

- वर्ष 2005-06 जून 2006 से प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रवर्तित "सूक्ष्म सिंचाई योजना" का उन्नयन क्रमशः राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI-Jun 2010), On Farm Water Management (OFWM-NMSA 1 April 2014), PMKSY-April 2015 बढ़ाकर इसे 12 वीं योजना अवधि में वर्ष के दौरान "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS)" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा था जिसे अप्रैल 2022 से 'पर ड्रॉप मोर क्रोप' (PDMC) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दायरे में संचालित किया जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी PMKSY के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना की परिचालन मार्ग-दर्शिका (2017-2021) उनकी वेबसाइट pmksy.gov.in पर उपलब्ध है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना का ढाँचा

- राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन व प्रबोधन संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14) प्र.सु./अनु-3/2014/1 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव कृषि हैं।
- योजना जिला स्तर पर संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14) प्र.सु./अनु-3/2014/II दिनांक 30.05.2014 के द्वारा जिला स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जिला मिशन कमेटी का गठन किया गया है। संबंधित जिले के जिला मिशन कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे।
- जिला मिशन कमेटी द्वारा जिला कार्य योजना, योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण हेतु समन्वयन, भौतिक/ वित्तीय प्रगति की निगरानी व समीक्षा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण तथा प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्रगति भिजवाना आदि कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिला मिशन कमेटी की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी। जिला मिशन कमेटी द्वारा ब्लॉक और ग्राम स्तर पर योजना का विभिन्न माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।
- राज्य स्तरीय कार्य योजना के संकलन के लिये राज्य स्तरीय कमेटी (SLC) को जिला मिशन कमेटी (DMC) द्वारा जिला वार्षिक कार्य योजना (निर्धारित प्रपत्र में) ऑनलाईन पोर्टल/MIS पर अग्रेषित की जावेगी जिसे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

- योजना का समस्त क्रियान्वयन कोष कार्यालय/IFMS /PD Account/ (Additional subsidy) व SNA (CA+SS) (यथास्थिति अनुसार) के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान दिशा-निर्देशानुसार जिले के सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये फसल चयन, प्राथमिकता क्षेत्र चयन, लाभार्थी चयन तथा नीतिगत निर्णयों हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे। लाभार्थी के चयन में पूर्ण पारदर्शिता रखी जावे।


(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(अनिल सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

8. संबंधित क्षेत्र के खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान योजना के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण व समन्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे। सम्भाग स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
9. राज्य स्तर पर उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता फर्मों से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर ही कृषक को अनुदान दिया जा सकेगा।
10. जिले के केन्द्रीयशां वार्षिक परिव्यय की प्रतिशत राशि तक जिला स्तर पर DMC के अनुमोदन पर सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा योजना की मॉनिटरिंग/मिशन मैनेजमेंट/प्रबोधन कार्य हेतु काम में ली जा सकेगी तथा प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर उक्त कार्यों के लिए उपयोग में ली जावेगी। जिलों में योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से संपादित किया जा रहा है अतः उक्त राशि का उपयोग दोनों विभागों द्वारा व्यय की गई राशि के अनुसार किया जा सकेगा। अलग-अलग राशि का निर्धारण DMC द्वारा किया जावेगा। किन्तु, इस राशि का उपयोग उद्यान आयुक्तालय से जारी आदेशों के पश्चात निर्देशानुसार ही किया जावे।
11. ड्रिप व फव्वारा सिंचाई पद्धति कृषक की आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की फसलों में लगाई जा सकती है तथापि, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिये सहायता सिर्फ उन फसलों के मामलों में दी जायेगी जहां ड्रिप सिंचाई किफायती नहीं होती है।
12. फव्वारा संयंत्रों हेतु देय अनुदान के तहत रेनगन पर भी अनुदान देय होगा तथा ड्रिप संयंत्रों हेतु देय अनुदान के तहत मिनी/माइक्रो स्पिंकलर पर भी अनुदान देय होगा।
13. सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के दृष्टिगत योजना का समन्वय सूक्ष्म सिंचाई से सम्बन्धित निम्न योजनाओं के साथ किया जायेगा।
 - माइक्रो ईरिगेशन फंड (MIF) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित ऋण
 - अटल भू-जल योजना (भू-जल विभाग के माध्यम से भारत सरकार एवं विश्व बैंक वित्त पोषित)
 - कृषक कल्याण कोष (राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से)
 - राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार मिशन (RWSLIP) जल संसाधन विभाग के माध्यम से जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजेन्सी (JICA) से वित्त पोषित
 - राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना रेगिस्तानी क्षेत्र (RWSRPD) जल संसाधन विभाग के माध्यम से न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) से वित्त पोषित
 - अन्य समन्वय (Convergence) योग्य योजनाएँ जिनका समय-समय पर समावेश किया जा सकेगा।

ब. अनुदान की पात्रता

1. कृषकों को फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर दोनों ही स्थिति में देय होगा।
2. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुएं, नलकूप या अन्य जल स्रोत पर विद्युत/डीजल/ सौर /ट्रैक्टर चालित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती जल स्रोत पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है। अविभाजित भूमि के हिस्सेदार किसान (Notional Share Farmer) को हिस्सेदार मानकर अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। अविभाजित/सामिलाती भूमि में नोशनल शेयर के आधार पर खसरा विशेष में यदि कृषक के पास कुल क्षेत्र कम है परन्तु कृषक उस पर काबिज है तथा समस्त सामिलात कृषकों द्वारा सहमति प्रदान की जाती है तो कृषक को तत् क्षेत्र हेतु अनुदान प्रदान किया जा सकेगा।

(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

3. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बांध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान देय होगा। नहरी क्षेत्रों में खाले (Water course)/डिग्गी तथा अन्य क्षेत्रों में फार्म पौण्ड, व्यक्तिगत/सामुदायिक जल स्रोत, जल संग्रहण ढांचे से सिंचाई हेतु भी फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान देय होगा।
4. जिस लाभार्थी के पास स्वयं का जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु जल करार जिनसे वह पानी लेने का इच्छुक है, प्रस्तुत करना होगा।
5. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर न्यूनतम 0.2 हैक्टेयर तथा अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा में अनुदान सीमित रखा जायेगा। जिन कृषकों ने 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्र हेतु पूर्व में अनुदान लिया है उन्हें 5 हैक्टेयर तक की सीमा में विस्तार हेतु अनुदान दिया जा सकता है। कृषक के यहां पूर्व में स्थापित हैड यूनिट या स्वयं मापदण्ड अनुरूप द्वारा स्थापित हैड यूनिट के प्रकरण में संयंत्र विस्तार के प्रकरणों में भी अनुदान देय होगा। अनुदान गणना हेतु हेड कन्ट्रोल यूनिट की अनुमानित ईकाई रूपये 8000 लागत मानी जावेगी।
6. कतिपय प्रकरणों में पूर्व स्थापित मैन/सब-मैन पाईप लाईन अगर निर्धारित डिजाइन के अनुरूप व तकनीकी रूप से संयंत्र के उपयोग योग्य हो तो पुनः नवीन पाईप लाईन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में 63, 75 व 90 मिमी पाईप की अनुमानित लागत क्रमशः रूपये 90, 120 व 170 प्रति मीटर मानते हुए ईकाई लागत में से कटौती करते हुए अनुदान की गणना की जावे।
7. जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई के लिये राज्य/केन्द्रीय अनुदान लाभ 5 हैक्टेयर की सीमा में पहले ही ले लिया है वह उसी भूमि पर सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु अर्थात् 7 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
8. जिन कृषकों ने पूर्व में ड्रिप/फव्वारा पर अनुदान ले रखा है एवं क्षेत्र विस्तार के तहत अनुदान हेतु आवेदन किया है ऐसे कृषकों के लिए इस वर्ष की देय अनुदान राशि से ही गणना की जानी है। अनुदान वांछित मॉडल हेतु देय अनुदान के अनुसार ही देय होगा।
9. कृषक के यहां पूर्व में स्थापित हैड यूनिट या स्वयं द्वारा स्थापित हैड यूनिट के प्रकरण में संयंत्र विस्तार के प्रकरणों में भी अनुदान देय होगा।
10. कृषक द्वारा नियत क्षेत्र सीमा में फव्वारा कार्यक्रम के तहत अनुदान लिये जाने के पश्चात् ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान मांगे जाने पर वांछित क्षेत्र पर फव्वारा हेतु पूर्व में दिये गये अनुदान की राशि ड्रिप हेतु देय अनुदान राशि में से घटाते हुए अनुदान जारी किया जा सकेगा।
11. कतिपय प्रकरणों में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के आवेदन के समय कृषकों द्वारा संयंत्र क्रय कर कोटेशन की बजाय आवेदन में बिल प्रस्तुत किया जाता है। कृषकों को समय पर इन संयंत्रों को सुलभ कराया जाने व व्यवहारिक स्थिति के मध्यनजर जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया गया हो उसी वित्तीय वर्ष के संयंत्र क्रय बिल होने की स्थिति में पात्र कृषकों को अनुदान देय होगा। ऐसे प्रकरणों में योजना प्रावधान/आकार में कमी या योजना मापदण्डानुसार संयंत्र न होने की स्थिति में अनुदान देयता से अमान्य किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं कृषक/आपूर्तिकर्ता की होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन व संयंत्र क्रय/स्थापन पर कृषक अनुदान प्राप्ति का अधिकार नहीं है।
12. कृषक/संस्थान जिन्होंने लीज/अनुबंध पर कृषि हेतु भूमि ली है वे भी ऐसी भूमि पर यदि कृषि हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाना चाहते हैं तो उनको भी नियमानुसार अनुदान देय होगा किन्तु यह लीज एग्रीमेंट कम से कम सात वर्ष के लिये होना आवश्यक है।
13. कृषकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सरकार से संबधित भूमि को एवं साथ ही सहकारी समिती/स्वयं सहायता समूह/निगमित कम्पनियों/पंचायतीराज संस्थान/गैर

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (1)

(संग्राम सिंह)
ए० निदेशक उद्यान (बि.)

सरकारी संगठन/ट्रस्ट/उत्पादक समितियों को भी योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

लाभार्थी श्रेणी

14. योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन कम से कम 50 प्रतिशत कृषक लघु, सीमान्त एवं महिला श्रेणी के अन्तर्गत होने चाहिए, जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। महिला लाभार्थियों हेतु कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान आवश्यक होगा। कुल आवंटन का 16.2 प्रतिशत एससीपी तथा 8 प्रतिशत टी एस पी के लिये निर्धारित किया जायेगा। अनु. जाति/ अनु. जनजाति किसानों का आवंटन जिले की जनसंख्या में इनके अनुपात के अनुसार किया जावे। विकलांग आवेदकों की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी की जावे।
15. लघु और सीमान्त किसान के मापदण्डों का सख्ती से अनुसरण किया जाएगा अर्थात् सीमांत (1.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व) तथा लघु (1.0 से 2.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व)। लाभार्थी /किसान की होल्डिंग के आकार का निर्धारण या प्रमाणन स्वयं के संज्ञान/प्राधिकृत स्थानीय राजस्व कार्मिकों द्वारा की जायेगी। शंका/विवाद की स्थिति में लघु/सीमान्त कृषक का निर्धारण सक्षम स्तर के राजस्व कार्मिकों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।

तकनीकी मापदण्ड

16. (a)-कृषकों द्वारा बी.आई.एस. मार्का सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र राज्य में पंजीकृत निर्माता अथवा उसके अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मापदण्ड के संयंत्र क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही अनुदान देय होगा। बी.आई.एस. मानकों की सूची संलग्न है। लाभार्थी किसी भी पंजीकृत निर्माता अथवा उसके अधिकृत विक्रेता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र खरीद के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (b)- कृषकों द्वारा बी.आई.एस. मार्का सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र राज्य में पंजीकृत निर्माता एवं उसके अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मापदण्ड के संयंत्र क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही अनुदान देय होगा। डीलर/अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी किये गये बिल पर निर्माता कम्पनी के द्वारा जारी बिल कमांक मय दिनांक एवं कम्पनी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (c)- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सांकेतिक बीओक्यू में प्रतीकात्मक कम्पोनेंट दर्शाये जाने के मध्यनजर क्षेत्र विशेष में तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर विभिन्न फव्वारा मॉडल में 63, 75, 90 तथा 110 मिमी. के पाइप पर अनुदान अनुमत किया जा सकेगा। ड्रिप व मिनी/माइक्रो स्पिकलर संयंत्रों के स्थापन में प्रतीकात्मक कम्पोनेंट पीवीसी मैन/सब मैन लाइन के स्थान पर तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर एचडीपीई पाइप (आईएस: 4984/आईएस:14151) को भी अनुमत किया जा सकेगा।
17. ड्रिप सिंचाई प्रकरण में ड्रिप के आवश्यक घटकों यथा फिल्टर, उर्वरक टैंक/पम्प/वेंचुअरी के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।
18. फव्वारा संयंत्र द्वारा < 0.4, > 0.4-1, > 1-2, > 2-3, > 3-4 व > 4-5 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने हेतु क्रमशः 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 व 5.0 हैक्टेयर मॉडल के फव्वारा संयंत्र की आवश्यकता होती है। अतः उक्त उल्लेखित भू-स्वामित्व के कृषकों को उसके अनुरूप वांछित फव्वारा संयंत्र पर अनुदान दिया जा सकेगा।
19. ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी रूप से वांछित/वैकल्पिक घटक यथा ड्रिप लाईन वाइडर, उर्वरक टैंक, सेण्ड फिल्टर/मीडिया फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर स्थापित करने पर भी नियमानुसार अनुदान देय होगा।
20. विभिन्न सिंचाई प्रणाली हेतु जारी सांकेतिक घटकों की संख्या/मात्रा में खेत व सिंचाई स्रोत के मध्यनजर बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर फव्वारा के सांकेतिक घटकों में बैण्ड/एंडकैप निर्धारित संख्या दो के स्थान पर तीन या एक क्रय करने पर

(राजेन्द्र सिंह)
अ्युक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(सिंघाण सिंह)
अ्युक्त निदेशक उद्यान (वि.)

भी अनुदान देय होगा। इसी प्रकार ड्रिप संयंत्र प्रणाली हेतु मेन/सबमेन पाईप लाईन व लेटरल की लम्बाई में बदलाव आ सकता है। तथापि, सांकेतिक घटक में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी/ कमी की स्थिति में सम्बन्धित निर्माता के तकनीकी कर्मी (अभियन्ता/ शष्य विज्ञानी) के स्तर से स्पष्ट तकनीकी कारणों का खुलासा संयंत्र डिजाईन डॉक्यूमेंट्स में किया जावेगा।

21. न्यून अंतराल फसलों में अधिकाधिक प्रकाश संश्लेषण के मध्यनजर यथासंभव ड्रिप लेटरल का ओरियेंटेशन उत्तर-दक्षिण रखा जावे।
ड्रिप संयंत्रों की ईकाई लागत संयंत्रों के अंतराल के अनुसार तय की गई है। फल बगीचों में स्थापित होने वाले ड्रिप संयंत्रों के प्रकरणों में पौध अन्तराल के बीच अंतरशष्य या दो संयंत्र लेटरल (अगर तकनीकी रूप से तर्क संगत हो) सिंचाई के प्रकरणों में वास्तविक संयंत्र अंतराल पर अनुदान देय होगा।

डाक्यूमेंटेशन

22. राज्य स्तर पर पंजीकृत निर्माताओं एवं उनके द्वारा अधिकृत किये गये डीलर्स की सूची आयुक्तालय द्वारा विभागीय वेबसाइट व राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड की जावेगी एवं आवेदन हेतु पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी तथा अनुदान हेतु वही मान्य होगी।
23. पंजीकृत निर्माताओं द्वारा उनके पास शेष रहे गत वर्ष के दौरान निर्मित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की सूचना विभाग को की जावे।
24. अनुदान हेतु वांछित बिल में कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा वैधानिक व्यावसायिक विवरण अर्थात् बिल पर छपी क्रम संख्या, जीएसटी, सीएसटी/आरएसटी/टीआईएन संख्या आदि के साथ उचित इनवॉइस सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर लाभार्थी को जारी किया जायेगा।
25. बिल में बैच नम्बर (जिसमें निर्मित वर्ष का उल्लेख हो) का अंकन अनिवार्य होगा। बिल में सभी कम्पोनेंट्स जिनके बीआईएस नम्बर हैं, पृथक-पृथक अंकित होना आवश्यक हैं। संयंत्र के प्रत्येक अवयवों पर बैच नम्बर/बीआईएस नम्बर का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है।
26. बिल/इनवाइस में आपूर्तिकर्ता द्वारा फिटिंग्स एवं एसेसरीज का स्पष्ट खुलासा किया जाना आवश्यक होगा। ड्रिप संयंत्रों की में एकरूपता हेतु सांकेतिक प्रपत्र 22 के अनुसार तथा फव्वारा संयंत्रों की बिलिंग भी सांकेतिक प्रपत्र 22.A संलग्न है।
27. ऑनलाईन अनुदान पत्रावलियों हेतु आवश्यक दस्तावेज—

अ: ऑनलाईन आवेदन के समय

- जनाधार के माध्यम से ऑनलाईन राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन
- भूमि की नवीनतम जमाबंदी / राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)
- बिजली का बिल/पम्प सैट क्रय बिल (वर्षों पुराने पम्प सैट से सिंचाई कर रहा हो तो स्वयं/विभागीय कार्मिक का प्रमाण-पत्र मान्य होगा)/ जल करार (सिंचाई जल स्रोत)
- पंजीकृत निर्माता या अधिकृत डीलर का संयंत्र प्रोफार्मा इनवाइस/क्रय बिल मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट एवं डिजाईन (केवल ड्रिप संयंत्र हेतु)

ब: वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेज

- कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि निर्माता को जमा करवाने की रसीद।
- पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल
- संयंत्र स्थापन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए सैट को बेचान/दान/उधार अथवा खुर्द-बुर्द नहीं करने एवं स्थापन के पश्चात् पाँच वर्ष के दौरान कृषि/उद्यान/अन्य राजकीय विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सैट के सत्यापन/निरीक्षण की सहमति बाबत सादे कागज पर शपथ-पत्र/अंडर टेकिंग।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (बि.)


(संग्राम सिंह)
निदेशक उद्यान (बि.)

- इस आशय का प्रमाण पत्र" कि उसे अथवा उसके परिवार में किसी सदस्य (यदि अलग नहीं है) को राज्य/भारत सरकार की किसी योजना के तहत प्रस्तावित भूमि पर पात्र समयावधि 7 वर्ष में 5 हैक्टेयर सीमा में ड्रिप/स्प्रिंकलर के लिये वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है।
 - स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा।
 - लघु/सीमान्त/SC/ST का प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
 - यदि उसके पास अपना /अपने खेत /प्लाट, जिसके लिए वित्तीय सहायता ली जा रही है, में जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु 5 साल का जल करार जिनसे वह पानी लेने का/की इच्छुक है।
 - त्रि-पार्टी अनुबंध गत वर्ष की भांति 500/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर।
28. लाभार्थी/ आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से पूर्ण दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के राजकिसान साथी पोर्टल पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अन्य

29. ड्रिप रेपर (Drip Line Winder) – फसल कटाई उपरांत अन्तःशस्य कार्य हेतु ड्रिप लेटरल को लाभार्थी द्वारा इकट्ठा किया जाता है। उचित जानकारी एवं उपकरण के अभाव में एकत्रित ड्रिप लेटरल में कट लगने के कारण इसकी आयु कम हो जाती है। अतः 2 हैक्टेयर से अधिक स्थापित न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों के साथ ड्रिप रेपर मशीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।
30. ड्रिप संयंत्रों पर प्रेशर गेज आवश्यक रूप से स्थापित किया जावें। डिजाईन की आवश्यकता अनुसार ऐयर प्रेशर रिलीज वाल्व भी स्थापित किये जावें।
31. न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों में डिस्क फिल्टर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें।

स. आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया

1. कृषक चयन

- 1.1 उद्यान/कृषि विभाग के अधिकारी, संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा अन्य संबंधित संस्थाएँ सहायक /उप निदेशक उद्यान के माध्यम से अपने क्षेत्र में अधिसक्रिय (Proactive) रूप से प्रगतिशील व संभाव्य कृषकों का चयन करेंगे।
- 1.2 पंजीकृत संयंत्र निर्माताओं द्वारा उनके नेटवर्क के माध्यम से संभाव्य कृषकों से सम्पर्क किया जाकर आवेदन पत्र राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार कराये जायेंगे। (Annexure -11)
- 1.3 कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान/कृषि, बैंक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार सहा./उपनिदेशक उद्यान सुनिश्चित करेंगे।
- 1.4 उद्यान/कृषि विभाग के कार्मिकों/पंजीकृत फव्वारा/ड्रिप निर्माताओं द्वारा कृषकों के ऑनलाइन आवेदन तैयार कराये जाने में सहायता दी जायेगी व ऑनलाइन स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

2. पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 2.1 कृषक द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक समस्त कागजात जैसे- भू-स्वामित्व, सिंचाई स्रोत का प्रमाण-पत्र, जल उपयोग सहमति इत्यादि ऑनलाइन अपलोड किया जावेगा।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

- 2.3 ऑनलाईन/राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का कृषि अधिकारी या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकता से सूक्ष्म परीक्षण (जांच) किया जावेगा।
- 2.4 सही पाये गये पूर्ण आवेदन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित एवं अपूर्ण आवेदन बैंक टू सिटीजन तथा अपात्र आवेदन निरस्त किये जायेंगे।

3. तकनीकी-आर्थिक सर्वे

- 3.1 उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के निर्देशन में संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता के एग्रोनोमिस्ट द्वारा Annexure 28 अनुरूप खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र का रूप-रेखा (डिजाइन) तैयार किया जावेगा।
- 3.2 कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाइन) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये जावेंगे। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा तथा पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की जावेगी।
- 3.3 संयंत्र आपूर्ति कर्ता जल गुणवत्ता के आधार पर यथोचित फिल्टर चुनाव कर डिजायन में समावेश सुनिश्चित करेंगे।
- 3.4 संयंत्रों की ईकाई लागत वर्ष 2021 में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई लागत के अनुसार मान्य होगी।
- 3.5 उक्त दस्तावेज राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

4. आवेदन अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कृषक हिस्सा राशि संग्रहण

- 4.1 राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदित समस्त सूक्ष्म सिंचाई पत्रावलियों के पात्र प्रकरण सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।
- 4.2 ऑनलाईन पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर बिना हार्ड कॉपी का इंतजार किये सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा नियम समयावधि में अविलम्ब सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु लक्ष्यों की सीमा में ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर जारी की जावेगी।
- 4.3 प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना तत्दिवस पोर्टल द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता तथा कृषक को प्रेषित की जावेगी ताकि निश्चित समयावधि के दौरान संयंत्र स्थापन की मॉनीटरिंग की जा सके।
- 4.4 कृषक हिस्सा राशि का संग्रहण सीधे ही आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जा सकेगा। कृषक हिस्सा राशि कृषक द्वारा सीधे जिला कार्यालय में या आपूर्तिकर्ता फर्म में जमा करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को जमा कराने की दशा में फर्म द्वारा दो प्रतियों में रसीद तैयार की जाकर एक प्रति कृषक एवं दूसरी प्रति जिला कार्यालय में प्रेषित की जायेगी।
- 4.5 न्यून अंतराल ड्रिप सिंचाई संयंत्रों पर बड़ी अनुदान राशि जारी की जाती है। 2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अंतराल ड्रिप स्वीकृति प्रकरणों का निस्तारण तर्क संगत आधार पर किये जाने के मध्येनजर समस्त स्टेक होल्डर्स (यथा लाभार्थी, आपूर्तिकर्ता, तकनीकी अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी) का शपथ पत्र/संस्तुति/अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र (Annexure 27) पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 ऑनलाईन आवेदन से संयंत्र स्थापना की समस्त प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रशासनिक स्वीकृति निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समयावधि संलग्न प्लो चार्ट में दर्शित है।

5. अनुबंध एवं संयंत्र स्थापना

- 5.1 प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त सहायक/उप निदेशक उद्यान., संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा संबंधित कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर त्रि-पार्टी अनुबंध संपन्न किया जावेगा।
- 5.2 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र सामान की आपूर्ति की जाकर संयंत्र स्थापन के पश्चात ऑनलाईन ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग की जायेगी।


(राजेन्द्र सिंह)
संबुद्ध निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

- 5.3 एक माह की अवधि से ज्यादा विलंब की स्थिति में संबंधित कृषक किसी अन्य अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से संयंत्र स्थापन्न करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। विलंब अवधि की गणना प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिवस से की जायेगी।
- 5.4 विलम्ब के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त करते हुए सूचना अविलम्ब आयुक्तालय उद्यानिकी, फर्म एवं कृषक को दी जायेगी।
- 5.5 कृषक द्वारा खुदाई व अन्य निर्माण संबंधित कार्य सम्पन्न करवाये जायेंगे।
- 5.6 संयंत्र स्थापन्न कार्य पूर्ण होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा तत्काल ऑनलाईन पोर्टल व्यवस्था द्वारा सूचित किया जावेगा।
- 5.7 प्रायः हेड कंट्रोल यूनिट की पक्की फाउण्डेशन नहीं की जाती है। संयंत्र की लम्बी आयु हेतु पक्के फाउण्डेशन आवश्यक है। अतः ड्रिप संयंत्रों के स्थापन में लाभार्थी स्तर से पक्का फाउण्डेशन कार्य अनिवार्य होगा। हेड कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ यथा संभव तारबन्दी की जावे ताकि जानवरों इत्यादि से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

6. भौतिक सत्यापन (मोबाइल ऐप के माध्यम से)

यथा संभव विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा तथापि थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी (Third Party Inspection Agencies) का भी प्रावधान करते हुये जिला विशेष की तर्क संगत आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं ली जावेगी। थर्ड पार्टी के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान कृषि पर्यवेक्षक/सहा.कृषि अधिकारी अवश्य रहे। थर्ड पार्टी का चयन आयुक्तालय के स्तर पर निविदा/अभिव्यक्ति की अभिरुचि (Expression of Interest) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान पीडीएमसी योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

विभागीय भौतिक सत्यापन निम्न प्रकार सम्पन्न कराया जावे:-

क्र.सं.	पद भौतिक सत्यापन कर्ता		
	अनुदान राशि (रूपये लाख)	फव्वारा/ रेनगन/ ड्रिप/ मिनि स्पिकलर	
1	1.00 लाख तक	कृ.प. + स.कृ.अ. या ऊपर	
2	1.00 लाख से अधिक	कृ.प./ स.कृ.अ + कृ.अ. या ऊपर	

उक्त कार्मिक कृषि/उद्यानिकी विभाग से होंगे। जिसकी भौतिक सत्यापन हेतु मैपिंग जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा की जायेगी।

- 6.1 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन की दशा में भौतिक सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा जारी अभिव्यक्ति की अभिरुचि (Expression of Interest) के माध्यम से अनुमोदित थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा सम्पन्न करवाया जावेगा।
- 6.2 भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा भौतिक सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षण निर्धारित अवधि में ऐप के माध्यम से पूर्ण करना होगा।
- 6.3 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रकरणों में रेण्डम आधार पर कम से कम 20 प्रतिशत पुनः भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी से अनिम्न विभागीय अधिकारियों द्वारा करना होगा।
- 6.4 संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि भौतिक सत्यापन के दौरान खोदी गई खाई उक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर खुली रखी जावे। भौतिक सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षण के दौरान स्वयं की संतुष्टि हेतु संबंधित कृषक स्वयं उपस्थित रहेगा। कृषक के खेत पर लगाया गया संयंत्र भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लेखित कम्पोनेन्ट के अनुसार होना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षण पश्चात् संबंधित कृषक द्वारा संयंत्र अपने कब्जे में लिया जावेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाकर अपलोड किया जायेगा।



(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(स.ग्राम सिंह)
रप निदेशक उद्यान (वि.)

- 6.5 (अ) भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में आवेदन पत्र पर मौके पर ही रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन कर्ता का नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक, फव्वारा/ड्रिप सैट में प्रयुक्त होने वाले कम्पोनेन्ट्स के मैनुफैक्चरिंग बैच नम्बर, कम्पनी का ISI मार्का नम्बर, सी.एम.एल. नम्बर, कम्पनी का ब्रांड नाम/मेक तथा कृषक द्वारा पूर्व में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नहीं लिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित कर आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा।
- (ब) आपूर्तिकर्ता द्वारा भौतिक सत्यापन पूर्व संयंत्र की सामग्री की चैकलिस्ट उपलब्ध करायी जावेगी (संलग्न प्रपत्र 29 अनुसार)। भौतिक सत्यापन के दौरान भौतिक सत्यापनकर्ता, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा मौके पर संयंत्र का फोटो लेकर जीयो-टैगिंग किया जावेगा एवं इसी साफ्टवेयर में उपलब्ध भौतिक सत्यापन प्रपत्र को भरकर अपलोड किया जावेगा।
- 6.6 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र स्थापित कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्य पूरा होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक। सत्यापन के दौरान कम से कम चार फोटो किसान एवं भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी के साथ अलग-अलग कोण से लिये जाकर अपलोड किये जायेगे।
- 6.7 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संबंधित खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित करके रेन्डम आधार पर 2 से 5 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन करवाया जावेगा। यह कार्यवाही 10 मई तक पूर्ण करनी होगी।
- 6.8 संबंधित खण्ड स्तरीय कृषि/उद्यान विभाग द्वारा भी रेन्डम आधार पर अपने क्षेत्र के कम से कम 5 से 10 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन किया जावेगा।
- 6.9 रेन्डम आधार पर किये गये पुर्नभौतिक सत्यापन के दौरान कार्यक्रम कियान्वयन के सम्बन्ध में पायी गयी अनुकूल/प्रतिकूल स्थितियों की टिप्पणी सम्बन्धित खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान द्वारा उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जावेगी।
- 6.10 उद्यान आयुक्तालय स्तर पर गठित दल द्वारा कार्यक्रम का आवश्यकतानुसार समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा।
- 6.11 भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के समय आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिजायन मैप आवश्यक रूप से साथ रखा जावे तथा मैप में इंगित अनुसार समस्त आईटम फील्ड में पाया जाना सुनिश्चित किया जावे। ड्रिप स्थापन के वर्क मैनिशप (हेड कन्ट्रोल यूनिट/ कन्ट्रोल वॉल्व/प्लस वॉल्व की उचित फिटिंग, ट्रेन्च पूरी तरह मिट्टी से पुनः भरा जाना) पर विशेष ध्यान दिया जावे।
- 6.12 डिजाईन मैप तैयार करने का कार्य निर्माता के अधिकृत एग्रोनोमिस्ट या इंजिनियर द्वारा ही तैयार किया जाना अनिवार्य है। डिजायन पर सम्बन्धित डिजायनकर्ता का नाम मय योग्यता (eg. MSc Ag. Agro./ B tech Ag. Etc.) अंकित की जावे। डिजाईन हेतु प्राधिकृत इंजीनियर/एग्रोनोमिस्ट के प्रमाणित हस्ताक्षर निर्माता स्तर से जिला ईकाई को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। डिजाईन चार्ट/ मैप में एकरूपता लाये जाने के मध्येनजर विभाग द्वारा अग्रेषित सैम्पल डिजायन मैप (Annexure 28) के अनुसार समस्त आपूर्तिकर्ता डिजायन मैप प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

7. अंतिम भुगतान (ऑनलाईन)

- 7.1 स्थापित फव्वारा संयंत्र का ऑनलाईन भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्र के जिला अधिकारी उद्यान द्वारा उपलब्ध बजट सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि का भुगतान कृषक के खाते में ऑनलाईन द्वारा जारी किया जावेगा।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


- 7.2 ड्रिप / मिनी/माइको स्प्रिंकलर संयंत्रों के प्रकरणों में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ विधिवत प्रमाणित/अंतिम भुगतान बिल अपलोड किया जावेगा। सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सम्बन्धित कृषक/संयंत्र आपूर्तिकर्ता डीलर/निर्माता को अऋणी प्रकरणों में शेष देय अनुदान राशि का भुगतान ऑन लाईन किया जावेगा। कृषक द्वारा संयंत्र का पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में अनुदान राशि कृषक के खाते में किया जायेगा। कृषक द्वारा आंशिक भुगतान व आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुदान राशि सम्बन्धित कृषक से नहीं लिये जाने की स्थिति में कृषक की अनुशंसा तथा डीलर व निर्माता की आपसी सहमति पर उसे देय अनुदान का भुगतान आपूर्तिकर्ता डीलर/निर्माता के खाते में ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऋणी प्रकरणों में सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा कृषक की अनुशंसा पर संबन्धित बैंक में शेष अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा।
- 7.3 ड्रिप/मिनी/माइको स्प्रिंकलर संयंत्रों की ऑनलाईन व्यवस्था से जनरेट प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबन्धित कोटेशन/इनवॉइस जारीकर्ता कम्पनी एवं आयुक्तालय उद्यान को ऑनलाईन व्यवस्था से संप्रेषित की जायेगी।
- 7.4 सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना उपरान्त अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी किये जाने वाले बिल पर निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किये गये बिल (इनवॉइस) का नम्बर मय दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व भौतिक सत्यापन दस्तावेजों के साथ संयंत्र निर्माता से कृषक हिस्सा राशि की रसीद भी अपलोड कराई जानी होगी।
- 7.6 भुगतान से पूर्व भौतिक सत्यापन सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे। बिलिंग क्षेत्र सीमा से कम क्षेत्र में (5 प्रतिशत अन्तर के अलावा) भौतिक सत्यापन के दौरान संयंत्र स्थापन पाये जाने की स्थिति में अनुदान भुगतान न किया जावे तथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा संबन्धित निर्माता कम्पनी के विरुद्ध विभाग द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण/अमानत राशि की जब्ती आदि की कार्यवाही संबन्धित फर्म को आयुक्त उद्यान/अध्यक्ष आरएचडीएस के समक्ष सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अमल में लायी जावेगी। 5 प्रतिशत तक बिलिंग क्षेत्र सीमा में भौतिक सत्यापन कम पाये जाने पर भुगतान में अनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
- 7.7 भुगतान लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता को भुगतान एसएनए/पे-मैनेजर प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे।
- 7.8 योजनान्तर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि बैंक में जमा होने की सूचना एसएमएस (SMS)/ई-मेल के माध्यम से तथा लिखित में लाभार्थी कृषक तथा निर्माता कम्पनी दौनो को आवश्यक रूप से संप्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

8. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षण,संचालन व नक्शा सुपुर्दगी

(i) संयंत्र आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा कृषक को खेत में स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा सुपुर्द किया जावेगा। नक्शों में हैड कंट्रोल यूनिट, जल धारक व वितरण प्रणाली, पाईप लाईन, विभिन्न वाल्व की स्थिति, जोड़ व अन्य अवयवों की पूर्ण स्थिति दर्शाई जावेगी। इसके साथ-साथ सिंचाई व उर्वरकीकरण समय-सारणी, सभी फसलों जिनके लिए डिजाईन तैयार की गई है उनकी तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन की प्रति एवं संयंत्र के रख-रखाव समय-सारणी का साहित्य भी संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त नक्शे व अन्य कागजात का व्यय संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

(ii) कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि संयंत्र स्थापना, उपयोगिता व संचालन की पूर्ण जानकारी आपूर्तिकर्ता/कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई है।


(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

(iii) संयंत्र स्थापना के बाद आपूर्तिकर्ता कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कृषकों एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष संयंत्र का संचालन कर उपयोग की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायें। माह दिसम्बर में निर्माता द्वारा संयंत्र संधारण रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

द. अनुदान की सीमा एवं भुगतान :-

संयंत्रों की ईकाई लागत वर्ष 2021 में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई लागत के अनुसार मान्य होगी।

ड्रिप, मिनि सिप्रंकलर तथा सिप्रंकलर संयंत्र पर देय अनुदान

सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणीवार अनुदान (ईकाई लागत का)	
	लघु सीमान्त कृषक / एससी / एसटी / महिला	अन्य कृषक
ड्रिप एवं मिनि सिप्रंकलर	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत
सिप्रंकलर	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (RKVY) सूक्ष्म सिंचाई योजना 2022-23 के दौरान सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान

क्र.सं	सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणी	कुल देय अनुदान प्रतिशत में	केन्द्रीयशां प्रतिशत में	राज्यांश प्रतिशत में	अति.राज्यांश प्रतिशत में
1	ड्रिप, मिनि सिप्रंकलर एवं सिप्रंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	75	33	22	20
		SC/ ST/ Woman	75	33/27	22/18	20/30
		अन्य कृषक	70	27	18	25

RWSLIP व RWSRPD या अन्य परियोजना क्षेत्र में विभागीय योजना में देय अनुदान पर अतिरिक्त टॉपअप का प्रावधान रहेगा जिसके निर्देश समय-समय पर जारी किये जायेंगे। अटल भूजल योजना के तहत चयनित ब्लॉक्स (तालिका) हेतु विशिष्ट प्रावधान समय-समय पर सूचित की जावेगी।

य. निर्माता पंजीकरण एवं आपूर्तिकर्ता दायित्व

निर्माताओं का पंजीकरण राज्य स्तर पर विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु संयंत्र की आपूर्ति सीधे ही निर्माता या उनके अधिकृत डीलर द्वारा किया जावेगा। जिला सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा जिले में कार्य कर रहे निर्माताओं की सूची का संधारण पंजिका में किया जावेगा।

निर्माता /कंपनी द्वारा प्रणाली लगाई जाएगी और किसान की संतुष्टि के अनुसार इसे आरम्भ किया जाएगा और निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

1. फसल के अनुसार फसल की पानी की आवश्यकता की आंकलन करना जिसके लिए सिंचाई प्रणाली प्रदान की जानी है।
2. फसल की जल आवश्यकता के अनुसार प्रणाली का डिजाईन तैयार करना।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(अनंद सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

3. लागत का आंकलन तैयार करके इसे क्रियान्वयन एजेंसी को ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना जिसमें स्पष्ट रूप से किसान के खेत में प्रणाली स्थापित करने की समय सीमा दर्शायी गई हो।
4. किसानों के खेतों में बेहतर गुणवत्ता वाले बीआईएस प्रमाणित उपकरण लगाए जाएंगे और भुगतान करते समय क्रियान्वयन एजेंसी आपूर्ति किए गए उपकरणों के बीआईएस मानकों को सुनिश्चित करेगी। संयंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु फील्ड एवं निर्माता इकाई से रेण्डम आधार पर नमूने लिये जाकर समय समय पर जांच करवायी जावे। नमूने की जांच का व्यय योजना के प्रशासनिक मद से भुगतान किया जावे।
5. स्थापित प्रणाली फसल की जल जरूरत के अनुसार प्रासंगिक होनी चाहिए।
6. जिला स्तर पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ फसल की सिंचाई के लिए अनुसरण की जाने वाली कृषि क्रियाओं हेतु किसानों को आवश्यक नवीनतम यथा फर्टीगेशन, ऑटोमेशन, एसिड ट्रीटमेंट जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषकों में जागरूकता एवं आवेदन प्रोत्साहन हेतु व्यापक स्तर पर अभियान भी समय-समय पर चलाये जावें।
7. ड्रिप तथा स्प्रिंकलर या दोनों सिंचाई प्रणालियों हेतु किसानों के पास प्रणाली को चलाने तथा इसके रख-रखाव के लिए उपयोगकर्ता हिन्दी में मैनुअल तथा उचित वारंटी होनी चाहिए।
8. लाभार्थी से प्रणाली को सफलतापूर्वक संस्थापित/आरंभ करने का प्रमाण-पत्र लिया जाए।
9. निर्माता द्वारा कम से कम पाँच वर्ष बिक्री के बाद निशुल्कसेवा प्रदान की जायेगी। विक्रय पश्चात् सेवा के तहत निर्माताओं द्वारा अपने एग्रोनोमिस्ट फील्ड में समय-समय पर भिजवाये जाना सुनिश्चित किया जावें। इसका प्रमाण पत्र 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में निर्माता को देना होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर Acid treatment करवाया जावे।
10. आपूर्ति किये गये सामान के बारे में उत्पन्न किसी तरह के विवाद की जिम्मेदारी स्वयं निर्माता की होगी।
11. बिक्री पश्चात् सेवा केन्द्रों/कार्यालयों की सूची जिसमें पूरा पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल, टोल फ्री नम्बर आदि का व्यापक रूप से प्रचार किया जायेगा।
12. पंजीकृत निर्माता द्वारा पंजीकरण के तत्काल पश्चात् सम्बन्धित जिला इकाइयों को अधिकृत मूल्य सूची से अवगत कराना होगा।
13. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति 250 हैक्टर या इसके अंश ड्रिप स्थापन प्रति वर्ष पर कम से कम एक तकनीकी कार्मिक (एग्रोनोमिस्ट/कृषि अभियन्ता) रखा जावेगा। क्षेत्रवार तकनीकी कार्मिकों की सूची आयुक्तालय के साथ-साथ सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक उद्यान को भी प्रेषित की जावेगी। तकनीकी कर्मियों द्वारा संयंत्रों की तकनीकी डिजाईन के अलावा संयंत्र रख-रखाव तथा फसल उत्पादन सम्बन्धि जानकारीयां प्रदान की जायेगी। तकनीकी कार्मिकों की सूचना जिलेवार मुख्यालय, जयपुर को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
14. निर्माता फर्म द्वारा तकनीकी कर्मियों के माहवार भ्रमण प्रतिवेदन सम्बन्धित सहायक/उप निदेशक उद्यान को प्रस्तुत किया जावें।
15. निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संयंत्र स्थापन व विक्रय पश्चात सेवाओं का निर्वहन न करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता कम्पनी की जिम्मेदारी तय की जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। गम्भीर अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित की भुगतान प्रकिया रोकी जाकर काली सूची में डालने की कार्यवाही आयुक्त उद्यान/अध्यक्ष आरएचडीएस के निर्देशानुसार की जा सकेगी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
16. निर्माता/अधिकृत डीलर्स द्वारा बिल में GSTIN, CML, ISI, BIS Batch No. का अंकन किया जावें। आपूर्तिकर्ता द्वारा यथासंभव कम्प्यूटराइज्ड बिल व डिजाईन ले-आउट प्रस्तुत किया जावें।
17. आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण शर्तों का विस्तृत विवरण संलग्नक 30 पर स्थित है।


(राजेंद्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

र. गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण

1. निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री बेहतर गुणवत्ता तथा बीआईएस प्रमाणित होनी चाहिए एवं लगाए गए उपकरण पंजीकरण के दौरान निर्माता द्वारा घोषित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर फील्ड से नमूना लेकर गुणवत्ता की जाँच हेतु सीपेट जयपुर को भिजवाया जावे।
2. ड्रिप लेटरल तथा उत्सर्जक का वितरण फसल अंतराल के अनुरूप होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि पौधों का जड़ वाला क्षेत्र गीला होगा।
3. लेटरल पर प्रथम तथा अंतिम उत्सर्जक के बीच पानी का प्रयोग समान होना चाहिए (10 प्रतिशत विविधता के तहत)।
4. ड्रिप सिंचाई की स्थापना और सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली से कृषक सन्तुष्ट होना चाहिए।
5. किसानों के पास प्रणाली लगाने वाले संबंधित निर्माता की उपभोक्ता पुस्तिका (यूजर्स मैनुअल) होनी चाहिए।
6. मुख्य लेटरल में घर्षण शीर्ष नुकसान मुख्य लेटरल के 1 मी./ 100 मी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
7. आपूर्तिकर्ता के स्तर से लाभार्थियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
8. योजना में उपलब्ध प्रावधान के तहत समय-समय पर कृषक/कार्मिक/अधिकारी प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

ल. अन्य बिन्दू

1. रिपीटस्वीकृत प्रकरणों का संधारण जिला स्तर पर किया जायेगा जो लाभान्वित कृषकों की ग्रामवार सूची वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराई जावेगी, जिससे सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक का रिकॉर्ड आदिनांक हो जाए तथा अगले वर्ष में भौतिक सत्यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आए। जिला मिशन समिति(DMC) द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना व व्यय का अनुमोदन तथा प्रगति की समीक्षा की जावेगी। एम एण्ड ई पोर्टल एमआईएस योजनान्तर्गत किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में हर त्रिमाही के अंत में भिजवाया जाना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जावेगा। खण्ड स्तरीय अधिकारी, उद्यान द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना उपरान्त उत्पादकता, गुणवत्ता एवं आर्थिक स्तर के बदलाव का सर्वेक्षण किया जावे। चिन्हित लाभार्थियों की सफलता की कहानी कम से कम 5 कृषक प्रति जिला आवश्यक रूप से मय फोटोग्राफ तथा सीडी के राज्य स्तर को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्तर में आये बदलाव का पूर्ण विवरण अंकित हों।
2. राज्य में पंजीकृत निर्माताओं के निर्माण परिसर एवं कार्यालयों का मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर उनकी कार्य प्रणाली, तकनीकी एवं उत्पादन क्षमता का अवलोकन किया जावेगा।
3. कृषकों को उच्च गुणवत्ता के सिंचाई संयंत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्रिप संयंत्र/मिनि फव्वारा संयंत्रों के नमूने निर्माता के निर्माण स्थल से एवं कृषक खेतों पर संयंत्र स्थापना उपरान्त रेन्डम आधार पर लेकर गुणवत्ता की जाँच अधिकृत संस्थानों से करवायी जावे।
4. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के पैरा 14.13 के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता कम्पनी का स्वयं का प्राईसिंग सिस्टम होगा जो कि पंजीकरण के समय और जब भी दरों में संशोधन हो, विभाग को सूचित किया जावेगा। जबकि अनुदान गणना हेतु भारत सरकार द्वारा कम्पोनेन्टवार/मॉडलवार इकाई लागत जारी की गई है। इकाई लागत या आपूर्तिकर्ता दर जो भी कम हो, उस पर अनुदान गणना की जाती है। अतः किसानों

(राजेन्द्र सिंह)
संबुक्त निदेशक उद्यान (वि)

(संग्राम सिंह)
निदेशक उद्यान (वि)

में इकाई लागत व बिल दर के आधार पर अनुदान देयता का संशय समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षणों व अभियानों के माध्यम से किया जावे।

व. ऑन-लाईन क्रियान्वयन

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत समस्त पत्रावलियां राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जावेगी तथा समस्त निस्तारण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। ऑनलाईन पत्रावलियों की विभाग द्वारा हार्ड कॉपी करना आवश्यक नहीं है। पूर्व की ई-मित्र/अन्य पोर्टल पर प्राप्त लम्बित पत्रावलियों जिनकी ऑफलाईन स्वीकृतियां जारी की गई थी का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर यथासम्भव वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सम्पन्न किया जावे। जिससे भविष्य में समस्त कार्य राजकिसान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से एण्ड टू एण्ड डिजीटाइजेशन सर्विस के माध्यम से सम्पन्न किया जा सके।

वर्ष के दौरान संयंत्रों की स्थापना हेतु कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन माह जनवरी तक ही स्वीकृत किये जावे ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक समस्त पत्रावलियों का निस्तारण किया जा सके। वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी के पश्चात प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रावलियों का निस्तारण उपलब्ध लक्ष्यों व बजट प्रावधान के मध्यनजर ही किया जा सकेगा। राजकिसान पोर्टल का पूर्ण विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है तथा सुलभ संदर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण संलग्नक 31 पर स्थित है।

राजकिसान साथी पोर्टल पर सभी हितधारकों की आवश्यकता व सुगमता के मध्यनजर समय-समय पर अपडेट किये जायेगें।


प्रबोधन एवं मूल्यांकन (M&E)

1. राज्य स्तर व जिला स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर निरन्तर प्रगति समीक्षा की जावेगी।
2. आवश्यकतानुसार समय-समय पर योजना का मूल्यांकन व अध्ययन आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।
3. अच्छे परिणामों के प्रकरणों की सफलता की कहानी जिला/राज्य स्तर पर तैयार की जावेगी।
4. खण्ड स्तरीय अधिकारी, उद्यान द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना उपरान्त उत्पादकता, गुणवत्ता एवं आर्थिक स्तर के बदलाव का सर्वेक्षण किया जावे। चिन्हित लाभार्थियों की सफलता की कहानी कम से कम 5 कृषक प्रति जिला आवश्यक रूप से मय फोटोग्राफ तथा सीडी के राज्य स्तर को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्तर में आये बदलाव का पूर्ण विवरण अंकित हों।


(राजेन्द्र सिंह)
संयक्त निदेशक उद्यान (वि.)



(संग्राम सिंह)
संयक्त निदेशक उद्यान (वि.)

कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हेतु पत्रावली के आवेदन से पत्रावली के निष्पादन की निर्धारित अवधि का फ्लो चार्ट:-




(राजेन्द्र सिंह)
प्रमुख निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
प्रमुख निदेशक उद्यान (वि.)



LEGEND

WATER SOURCE	
PUMPING UNIT	
HEAD UNIT	
CONTROL VALVE	
MAIN PIPE	
BRANCH PIPE	
VALVE	
AIR VALVE	
ELEVATION	

SCHEME OF OPERATION

Sl. No.	Valve No.	Valve Area (ha)	Area (ha)	Flow (m ³ /hr)	Flow (m ³ /hr)	Flow (m ³ /hr)	Flow (m ³ /hr)	Flow (m ³ /hr)	Flow (m ³ /hr)
1	V1	0.25	16.7	0.25	16.7	1.05			
2	V2	0.25	16.7	0.25	16.7	1.05			
3	V3	0.25	16.7	0.25	16.7	1.05			
4	V4	0.25	16.7	0.25	16.7	1.05			
TOTAL		1.00				4.20			

Description		Unit	Comp-I	Comp-II	Comp-III
Net Irrigation Area		Ha	-	-	-
Row to Row Spacing		Mtr	-	-	-
Plant to Plant Spacing		Mtr	-	-	-
Row Direction			-	-	-
Total No. of plants		No.	-	-	-
Type of irrigation system			-	-	-
Emitter Type		No.	-	-	-
Emitter per plant		No.	-	-	-
Emitter Discharge		LPH	-	-	-
Layout spacing		Mtr	-	-	-
Emitter Spacing		Mtr	-	-	-
No. of laterals per row		No.	-	-	-
Application Rate		m ³ /hr	-	-	-
Daily Peak Water requirement		m ³ /day	-	-	-
Daily Peak Water requirement		Ltr/Day/Plant	-	-	-
Irrigation Interval		Days	-	-	-
Duration of one shift		hr.	-	-	-
No. of Shifts		hr.	-	-	-
Maximum Daily Discharge		hr.	-	-	-
Energy available per day		hr.	-	-	-
Maximum Discharge/season		%	-	-	-
Ending Pump Flow (G.L.)		m ³ /hr	-	-	-
Ending Pump		HP	-	-	-
Pump Head Required		Mtr	-	-	-
Pump Flow Required		m ³ /hr	-	-	-
Maximum Discharge per shift		m ³ /hr	-	-	-
Water Source		m	-	-	-
Water Source Design		mm	-	-	-
Delivery Size of Pump		mm	-	-	-
Filteration Unit - Hydrocyclone/4000		m ³ /hr	-	-	-
Delivery Size of Filter		mm	-	-	-
Filteration Unit - Sandstrainer/2000		m ³ /hr	-	-	-
Delivery Size of Sandstrainer		mm	-	-	-
Filteration Unit - Finestrainer/1000		m ³ /hr	-	-	-
Delivery Size of Finestrainer		mm	-	-	-
Filteration Unit - Screen/500		m ³ /hr	-	-	-
Delivery Size of Screen		mm	-	-	-

NAME OF THE FIRM:
ADDRESS:

DATE: 00/00/0000
SCALE: A4 1:1000
DESIGN BY: NAME: XXXX
QUALIFICATION: XXXX
APPROVED BY: XXXX

CUSTOMER: VILLAGE: PANCHAYAT: SAMITI / TEHSIL: DISTRICT: STATE: GROUP: XXXXX
AREA (Ha.): 1.00

REVISIONS: 00
EMITTER TYPE: XXX

(Signature)
राजेन्द्र सिंह
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(Signature)
(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Annexure-1

सूक्ष्म सिंचाई योजना 2022-23 के दौरान सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान

क.सं	सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणी	कुल देय अनुदान प्रतिशत में	केन्द्रीयशा प्रतिशत में	राज्यांश प्रतिशत में	अति.राज्यांश प्रतिशत में
1	ड्रिप, मिनि सिप्रंकलर एवं सिप्रंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	75	33	22	20
		SC/ ST/ Woman	75	33/27	22/18	20/30
		अन्य कृषक	70	27	18	25


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना 2022-23 (सांकेतिक इकाई लागत)

अन्तराल (मी.)	क्षेत्रफल मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु सांकेतिक इकाई लागत (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2021) क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र की सांकेतिक इकाई लागत रूपये में						
		0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	31436	57241	127501	242422	366950	495055	619326
1.5x0.6	16	28003	50116	109531	207860	313909	425189	530905
1.8x0.6	16	24569	42992	91560	173298	260868	355323	442484
2.5x0.6	16	20201	35000	71733	131824	201464	279770	343433
1.5x1.5	16	28106	46995	97245	185324	276767	382246	470306
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	23932	41303	83085	161263	234280	325469	399494
2.5x2.5	16	19516	35393	68234	124216	189724	266274	325233
3.0x3.0	12	15792	26190	47751	82654	127306	160103	200455
4.0x4.0	12	14602	24326	41534	72799	113560	148684	176964
5.0x5.0	12	13144	23486	39378	67199	97110	123409	165815
6.0x6.0	12	12400	21693	34687	57987	93688	113618	142566
8.0x8.0	12	11330	19711	28777	47314	73272	92615	117529
9.0x9.0	12	11091	19114	27304	44469	68853	86606	110024
10x10	12	10854	18652	26181	42226	65487	82025	104292
12x12	12	10526	18009	24586	39098	60704	75521	96166
Mini Sprinkler								
8x8	32		47528	103873	187929	290935	380031	469890
10x10	32		45694	94134	176766	268422	345497	423236
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		38263	74259	133821	191078	263852	321462
5x5	16/20		32713	65102	114426	164937	222721	281557
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.	एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए						
		फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु सांकेतिक इकाई लागत (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2021)						
			<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0	>4.0 - 5.0
Sprinkler	63		13211	21588	31167	NA	NA	NA
	75		NA	24194	34657	NA	NA	NA
	90		NA	0	0	46779	58995	66789
Rain-gun	63		NA	31684	NA	NA	NA	NA
	75		NA	38127	48370	NA	NA	NA
	90		NA	NA	NA	62767	72751	79894

(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

सामान्य कृषकों हेतु अनुदान गणना

अन्तराल (मी.)	मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु अनुदान गणना 70% (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2021) क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र पर अनुदान ईकाई लागत का 70 प्रतिशत						
		क्षेत्रफल	0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	22005	40069	89251	169695	256865	346539	433528
1.5x0.6	16	19602	35081	76672	145502	219736	297632	371634
1.8x0.6	16	17198	30094	64092	121309	182608	248726	309739
2.5x0.6	16	14141	24500	50213	92277	141025	195839	240403
1.5x1.5	16	19674	32897	68072	129727	193737	267572	329214
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	16752	28912	58160	112884	163996	227828	279646
2.5x2.5	16	13661	24775	47764	86951	132807	186392	227663
3.0x3.0	12	11054	18333	33426	57858	89114	112072	140319
4.0x4.0	12	10221	17028	29074	50959	79492	104079	123875
5.0x5.0	12	9201	16440	27565	47039	67977	86386	116071
6.0x6.0	12	8680	15185	24281	40591	65582	79533	99796
8.0x8.0	12	7931	13798	20144	33120	51290	64831	82270
9.0x9.0	12	7764	13380	19113	31128	48197	60624	77017
10x10	12	7598	13056	18327	29558	45841	57418	73004
12x12	12	7368	12606	17210	27369	42493	52865	67316
Mini Sprinkler								
8x8	32		33270	72711	131550	203655	266022	328923
10x10	32		31986	65894	123736	187895	241848	296265
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		26784	51981	93675	133755	184696	225023
5x5	16/20		22899	45571	80098	115456	155905	197090
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.	एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए						
		फव्वारा तथा रेनगन हेतु अनुदान 70 % (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2021)						
			<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0	>4.0 - 5.0
Sprinkler	63		9248	15112	21817	—	—	—
	75		—	16936	24260	—	—	—
	90		—	—	—	32745	41297	46752
Rain-gun	63		—	22179	—	—	—	—
	75		—	26689	33859	—	—	—
	90		—	—	—	43937	50926	55926


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
रप निदेशक उद्यान (वि.)

लघु, सीमान्त, अजा., अजजा. एवं महिला कृषकों हेतु अनुदान गणना

अन्तराल (मी.)	मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु अनुदान गणना 75% (As per PDMC Operational Guidelines)						
		क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र पर अनुदान ईकाई लागत का 75 प्रतिशत						
	क्षेत्रफल	0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	23577	42931	95626	181817	275213	371291	464495
1.5x0.6	16	21002	37587	82148	155895	235432	318892	398179
1.8x0.6	16	18427	32244	68670	129974	195651	266492	331863
2.5x0.6	16	15151	26250	53800	98868	151098	209828	257575
1.5x1.5	16	21080	35246	72934	138993	207575	286685	352730
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	17949	30977	62314	120947	175710	244102	299621
2.5x2.5	16	14637	26545	51176	93162	142293	199706	243925
3.0x3.0	12	11844	19643	35813	61991	95480	120077	150341
4.0x4.0	12	10952	18245	31151	54599	85170	111513	132723
5.0x5.0	12	9858	17615	29534	50399	72833	92557	124361
6.0x6.0	12	9300	16270	26015	43490	70266	85214	106925
8.0x8.0	12	8498	14783	21583	35486	54954	69461	88147
9.0x9.0	12	8318	14336	20478	33352	51640	64955	82518
10x10	12	8141	13989	19636	31670	49115	61519	78219
12x12	12	7895	13507	18440	29324	45528	56641	72125
Mini Sprinkler								
8x8	32		35646	77905	140947	218201	285023	352418
10x10	32		34271	70601	132575	201317	259123	317427
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		28697	55694	100366	143309	197889	241097
10x10	32		24535	48827	85820	123703	167041	211168
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.	एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए						
		फव्वारा तथा रेनगन हेतु अनुदान 75 % (As per PDMC-MI Operational Guidelines 21)						
			<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0	>4.0 - 5.0
Sprinkler	63		9908	16191	23375	—	—	—
	75		—	18146	25993	—	—	—
	90		—	—	—	35084	44246	50092
Rain-gun	63		—	23763	—	—	—	—
	75		—	28595	36278	—	—	—
	90		—	—	—	47075	54563	59921

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

वैकल्पिक घटकों के सांकेतिक मूल्य				
क्र. सं.	वैकल्पिक घटक		आईएस सं.	लगभग मूल्य रु. में
1	बैकवॉश एसेंबली वाला सैंड फिल्टर			
	ए	10 घन मी. / घंटा x 1.5"	14606	9775
	बी	20 घन मी. / घंटा x 2"	14606	13225
	सी	25 घन मी. / घंटा x 2"	14606	16100
	डी	30 घन मी. / घंटा x 2.5"	14606	18400
2	हाइड्रोसाईक्लोन फिल्टर			
	ए	20 घन मी. / घंटा x 2"	14743	4025
	बी	25 घन मी. / घंटा x 2"	14743	4600
	सी	30 घन मी. / घंटा x 2.5"	14743	6325
3	एसेम्बली के साथ उर्वरक टैंक			
	ए	30 लीटर	उपलब्ध नहीं	3220
	बी	60 लीटर	उपलब्ध नहीं	5750
4	वाईन्डर			
	ड्रिप लाईन वाईन्डर			2000


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 0.2 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6	
	Control Unit																	
1	Screen Filter 10m3/HR	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (1 1/2")	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release valve 1"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
4	Non return valve-1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly-1.5"x1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	Field unit																	
6	PVC pipe50mm,class III;6kg/cm2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	48
7	Lateral 12mm, class II, 2.5kg/cm2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010	1347	20	27	32	40	40
8	Emmitting pipe 12mm class 2 (0.3 to 0.6 x1 to 4 lph)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	808	1122	1347	1683	1683
9	Emitter/Dripper 4/8 lph	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	907	0	0	0	0	0
10	Control Valve 50mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
11	Flush valve 50mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
12	Throttle valve-1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
13	Fitting & Accessories @ 5%	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%


(राजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)



(संप्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities for 0.4 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
1	Control Unit	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Screen Filter 10m ³ /hr/Disc filter Ventury & manifold (1 1/2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non return valve-1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly-1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Field unit																
6	PVC/HDPE* Pipe 63mm, class II:4kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0
7	PVC/HDPE* Pipe 50mm, class III:6kg/cm ²	m	96	96	96	96	96	96	96	96	66	66	66	96	96	96	96
8	Lateral 16mm, class II 2.5kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2020	2693	38	53	64	79
9	Emmitting Pipe 12mm class 2(0.6x1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2245	2693	3367
10	Lateral 12mm, class II, 2.5kg/cm ²	m	339	406	452	508	677	813	1016	1355	0	0	0	0	0	0	0
11	Emitter/Dripper 4/8 lph	No.	113	163	201	255	453	653	510	907	1293	2010	1796	0	0	0	0
12	Control Valve 63mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
13	Control Valve 50mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Flush valve 63mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
15	Flush valve 50mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Throttle valve-2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Throttle valve-1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Fitting & Accessories @ 5%	Set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Amfz

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 1.0 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen Filter 20-25 m ³ /hr/Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non return valve-1.5"/2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly-1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Field unit																
6	PVC/HDPE* Pipe 75mm,class II;4kg/cm2	m	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54
7	PVC/HDPE* Pipe 63mm,class II;4kg/cm2	m	0	0	0	0	54	156	156	102	102	102	102	102	102	102	102
8	PVC/HDPE* Pipe 50mm,class III;6kg/cm2	m	156	156	156	156	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lateral 16mm,class II 2.5kg/cm2	m	833	1000	1111	1250	1667	2000	2500	3333	4000	5000	6667	60	83	100	125
10	Emmitting Pipe 16mm class 2(0.6x1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040	5611	6733	8417
11	Emitter/Dripper 4/8 lph	No.	278	400	494	625	1111	1600	1275	2267	3232	5050	4489	0	0	0	0
12	Control Valve 75mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
13	Control Valve 63mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
14	Control Valve 50mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
15	Flush valve 63mm.	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
16	Flush valve 50mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Throttle valve-2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Fitting & Accessories (@ 5%	Set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेन्द्र सिंह)
सम निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
सम निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 2.0 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen Filter 20-25 m ³ /hr/Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non return valve-1.5"/2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly-1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Field unit																
6	PVC/HDPE* Pipe 75mm, class II:4kg/cm ²	m	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
7	PVC/HDPE* Pipe 63mm, class II:4kg/cm ²	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
8	Lateral 16mm, class II 2.5kg/cm ²	m	1850	2130	2350	2600	3500	4200	5200	6900	8250	11000	14000	120	150	170	200
9	Emmitting Pipe 16mm Class 2(0.6x1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	11500	13600	17000
10	Emitter/Dripper 4/8 lph	No.	600	800	1000	1300	2300	3300	2600	4800	6600	10400	9000	0	0	0	0
11	Control Valve 75mm	No.	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
12	Control Valve 63mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
13	Flush valve 63mm	No.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Throttle valve-2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Fitting & Accessories @ 5%	Set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेश्वर सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

kmfz

(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 3.0 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateral Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen Filter 30m ³ /hr/Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Screen Filter 20-25 m ³ /hr	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Ventury & manifold 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non return valve- 2"/2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
6	Non return valve-1.5"/2.0"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly-2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Field unit																
8	PVC/HDPE* Pipe 90mm,class II;4kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90
9	PVC/HDPE* Pipe 75mm,class II;4kg/cm ²	m	0	0	0	0	216	216	216	216	132	132	132	132	132	132	132
10	PVC/HDPE* Pipe 63mm,class II;4kg/cm ²	m	216	216	216	216	336	336	336	336	174	174	174	174	174	174	174
11	PVC/HDPE* Pipe 50mm,class III;6kg/cm ²	m	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lateral 16mm,class II 2.5kg/cm ²	m	2500	3000	3333	3750	5000	6000	7500	10000	12120	15150	20200	156	217	260	325
13	Emmitting Pipe 16mm class 2 (0.6x1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	16833	20200	25250
14	Emiter/Dripper 4/8 lph	No.	833	1200	1481	1875	3333	2400	3750	6667	9696	15150	13467	0	0	0	0
15	Control Valve 90mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
16	Control Valve 75mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 63mm	No.	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Control Valve 50mm	No.	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Flush valve 75mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush valve 63mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle valve-2" / 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle valve-1.5"/2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fitting & Accessories @ 5%	Set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 4.0 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen Filter 30m3/hr/Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
2	Screen Filter 20-25m3/hr/Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non return valve- 2"/2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
6	Non return valve-1.5"/2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly-2"x1.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	By-pass Assembly-1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Field unit																
9	PVC/HDPE Pipe 90mm, class II;4k	m	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	138	138	138	138
10	PVC/HDPE Pipe 75mm, class II;4k	m	222	222	222	222	222	222	222	222	276	276	276	276	276	276	276
11	PVC/HDPE Pipe 63mm, class II;4k	m	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
12	Lateral 16mm, class II 2.5kg/cm2	m	4080	4080	4533	5100	6800	8160	10200	13600	16160	20200	26933	180	250	300	375
13	Emmitting pipe 16mm class 2 (0.6mx1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	22000	26950	33100
15	Emiter/Dripper 4/8 lph	No.	1632	1632	2015	2550	4533	4896	7700	9244	12800	20000	17800	0	0	0	0
16	Control Valve 90mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
19	Flush valve 75mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush valve 63mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle valve-2" / 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle valve-1.5" / 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fitting/Installation & Accessories @	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(रांग्राम सिंह)
संयुक्त उद्यान (वि.)

Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities for 5.0 ha. at farmer's field

S.No.	Component/Lateral to Lateralx Dripper Spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen Filter 30m3/hr/Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
2	Screen Filter 20-25m3/hr/Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Ventury & manifold (2 1/2")	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Air release valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Non return valve- 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
7	Non return valve- 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	By-pass Assembly-2.5"x2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	By-pass Assembly-2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Field unit																
10	PVC/HDPE Pipe 90mm, class II;4kg/cm2		114	114	114	114	114	114	114	114	168	168	168	168	168	168	168
11	PVC/HDPE Pipe 75mm, class II;4kg/cm2	m	168	168	168	168	168	168	168	168	342	342	342	342	342	342	342
12	PVC/HDPE Pipe 63mm, class II;4kg/cm2		450	450	450	450	450	450	450	450	456	456	456	456	456	456	456
13	Lateral 16mm, class II 2.5kg/cm2		4250	5100	5667	6375	8500	10200	12750	17000	20200	25250	33667	268	373	447	559
14	Emmitting Pipe 16mm class II: (0.6mx1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	28056	33667	42083
15	Emitter/Dripper 4/8 lph		1417	2040	2519	3188	5667	8160	6500	11556	16160	25250	22444	0	0	0	0
16	Control Valve 90mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75mm		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Flush valve 75mm		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush valve 63mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle valve-2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle valve-2"		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fitting/Installation & Accessories @	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेंद्र सिंह)
संयक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
संयक्त निदेशक उद्यान (वि.)

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Micro Sprinkler Irrigation System														
S. No.	Components/ Area (ha)	Unit	5mx5m						3mx3m					
			0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	PVC Pipe 90 mm; Class II; 4 kg / cm ²	m	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	150
2	PVC Pipe 75 mm; Class II; 4 kg / cm ²	m	30	54	80	100	252	600	30	54	100	140	220	520
3	PVC Pipe 63 mm; Class II; 4 kg / cm ²	m	66	102	150	180	402	0	66	102	150	180	380	0
4	20 mm;LLDPE plain Lateral 2.5 kg / cm ² Class II;	m	0	2000	4000	6000	8000	10000	0	3350	6660	10000	13330	16600
5	Lateral 16 mm; Class II; 2.5 kg / cm ³	m	800	0	0	0	0	0	1336	0	0	0	0	0
6	Micro Sprinkler Set	No	160	400	800	1200	1600	2000	444	1111	2222	3333	4444	5556
7	Control valve PP 90 mm	No.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1
8	Control valve PP 75 mm	No	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	4
9	Control valve PP 63 mm	No	1	1	4	4	0	0	1	1	4	4	0	0
10	Flush valve 75 mm		0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	4	4
11	Flush valve 63 mm	No	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
12	Flush valve 50 mm	No	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Air Release Valve 1"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Non Return Valve 2.0"	No	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
15	Non Return Valve 2.5"	No	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	Throttle valve 2.0"	No	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
17	Throttle valve 2.5"	No	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
18	Screen filter 30 m ³ / hr	No	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
19	Screen filter 20/ 25 m ³ / hr	No	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	By pass Assembly 2.5"x2"	No	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	By pass Assembly 2.0"x1.5"	No	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Venturi & Manifold 2.0"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Fitting & Accessories @ 5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Mini Sprinkler Irrigation System

S. No.	Components/ Area (ha)	Unit	10mx10m							8mx8m						
			0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0		
1	PVC Pipe 90 mm; Class II; 4 kg / cm2	m	0	0	80	210	235	310	0	0	80	210	235	310		
2	PVC Pipe 75 mm; Class II; 4 kg / cm2	m	30	60	150	320	420	480	30	60	150	320	420	480		
3	PVC Pipe 63 mm; Class II; 4 kg / cm2	m	66	110	0	0	0	0	66	110	0	0	0	0		
4	32mm LLDPE plain laterals, 2.5 kg / cm2-Class II	m	400	1000	2000	3000	4000	5000	500	1250	2500	3750	5000	6250		
5	Mini Sprinkler Head / Nozzle	No	40	100	220	300	400	500	63	156	312	470	625	780		
6	M S Riser Rod 8 mm & assembly	No	40	100	220	300	400	500	63	156	313	470	625	781		
7	Control valve PP 90 mm		0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2		
8	Control valve PP 75 mm	No	0	1	1	1	4	4	0	1	2	4	4	4		
9	Control valve PP 63 mm	No	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0		
10	Control valve PP 50 mm	No	0	20	34	52	68	84	0	24	36	54	72	90		
11	Flush valve 75 mm	No	0	0	1	4	4	4	0	1	2	4	4	4		
12	Flush valve 63 mm	No	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
13	Air Release Valve 1"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	Non Return Valve 2.5"	No	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
15	Non Return Valve 2"	No	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
16	Throttle valve 1 3"	No	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
17	Throttle valve 2.5"	No	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0		
18	Throttle valve 2"	No	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
19	Screen filter 30 m3 / hr	No	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1		
20	Screen filter 20/25 m3 / hr	No	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
21	By pass Assembly 2"x1.5"	No	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
22	By pass Assembly 1.5"x1.5"	No	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0		
23	Venturi & Manifold 2"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
24	Fittings & Accessories @ 5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		

राजेन्द्र सिंह (क)

संगम सिंह

(संगम सिंह)
मान (वि.) उप निदेशक उद्यान (वि.)

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Portable Sprinkler Irrigation System

S. No.	Components/Area (Ha)	Unit	0.4 Ha.	1.0 Ha.	2.0 Ha.	3.0 Ha.	4.0 Ha.	5.0 Ha.
	Using 63 mm Coupler							
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 2; 3.2 kg / cm ² IS:14151 Part II 63mm diameter & 6m long)	No.	18	30	41	NA	NA	NA
2	Quick Coupled HDPE 63mm Foot batten Assembly	No.	3	5	9	NA	NA	NA
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No.	3	5	9	NA	NA	NA
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²):IS 12232 part I Brass	No.	3	5	9	NA	NA	NA
5	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (63/50mm)	No.	1	1	1	NA	NA	NA
6	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63mm	No.	1	1	1	NA	NA	NA
7	Quick Coupled HDPE End Plug (63mm)	No.	1	2	2	NA	NA	NA
8	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler (63mm)	No.	1	1	1	NA	NA	NA
	Using 75 mm Coupler							
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm ² IS:14151 Part II, 75mm diameter & 6m long)	No.	NA	30	41	NA	NA	NA
2	Quick Coupled HDPE 75mm Foot batten Assembly	No.	NA	5	9	NA	NA	NA
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No.	NA	5	9	NA	NA	NA
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²):IS 12232 part I Brass	No.	NA	5	9	NA	NA	NA
5	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75mm)	No.	NA	1	1	NA	NA	NA
6	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 75mm	No.	NA	1	1	NA	NA	NA
7	Quick Coupled HDPE End Plug (75mm)	No.	NA	2	2	NA	NA	NA
8	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler (75mm)	No.	NA	1	1	NA	NA	NA
	Using 90 mm Coupler							
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm ² IS:14151 Part II, 90mm diameter & 6m long)	No.	NA	NA	NA	41	52	58
2	Quick Coupled HDPE 90mm Foot batten Assembly	No.	NA	NA	NA	11	14	16
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No.	NA	NA	NA	11	14	16
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²):IS 12232 part I Brass	No.	NA	NA	NA	11	14	16
5	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (90mm)	No.	NA	NA	NA	2	2	4
6	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 90mm	No.	NA	NA	NA	1	1	1
7	Quick Coupled HDPE End Plug (90mm)	No.	NA	NA	NA	2	2	2
8	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler (90mm)	No.	NA	NA	NA	1	1	2

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Raingun Sprinkler Irrigation System

S. No.	Components/Area (Ha)	1.0 Ha.	2.0 Ha.	3.0 Ha.	4.0 Ha.	5.0 Ha.
	Using 63 mm Coupler					
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 3; 4kg / cm ² IS:14151 Part II 63mm diameter & 6m long)	30	NA	NA	NA	NA
2	Ranigun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	NA	NA	NA	NA
3	Tripod stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5m	1	NA	NA	NA	NA
4	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (63/50mm)	1	NA	NA	NA	NA
5	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63mm	1	NA	NA	NA	NA
6	Quick Coupled HDPE End Plug (63mm)	1	NA	NA	NA	NA
7	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler (63mm)	1	NA	NA	NA	NA
8	Bye-pass assembly-2.0"x1.5"	1	NA	NA	NA	NA
	Using 75 mm Coupler					
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 3; 4kg / cm ² IS:14151 Part II 75mm diameter & 6m long)	30	42	NA	NA	NA
2	Ranigun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	1	NA	NA	NA
3	Tripod stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5m	1	1	NA	NA	NA
4	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75mm)	1	1	NA	NA	NA
5	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 75mm	1	1	NA	NA	NA
6	Quick Coupled HDPE End Plug (75mm)	1	1	NA	NA	NA
7	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler (75mm)	1	1	NA	NA	NA
8	Bye-pass assembly-2.0"x1.5"	1	1	NA	NA	NA
	Using 90 mm Coupler					
1	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 3; 4kg / cm ² IS:14151 Part II 90mm diameter & 6m long)	NA	NA	45	52	60
2	Ranigun Sprinkler 1.25" female threaded connection	NA	NA	1	1	1
3	Tripod stand with adapter to feeder line 1.5"x1.5m	NA	NA	1	1	1
4	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (90mm)	NA	NA	1	1	1
5	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple, 90mm	NA	NA	1	1	1
6	Quick Coupled HDPE End Plug (90mm)	NA	NA	1	1	1
7	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler 90mm	NA	NA	1	1	1
8	Bye-pass assembly-2.0"x1.5"	NA	NA	1	0	0
9	Bye-pass assembly-2.5"x2.0"	NA	NA	0	1	1

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

बीआईएस मानकों की सूची

क्र.सं.	घटक का विवरण	बीआईएस
1	सिंचाई के लिए पालीथीन पाइप-5 संशोधन वाले लेटरल	आईएस 12786: 1989 (पुष्टिकरण 1998)
2	उत्सर्जक	आईएस 13487: 1992
3	उत्सर्जक पाइप प्रणाली	आईएस 13488: 2008
4	स्ट्रेनर टाइप फिल्टर	आईएस 12785 :1994
5	सिंचाई उपकरण, घूर्णन स्प्रिंकलर भाग-2, वितरण की समरूपता की विधि-(पहला परिशोधन (संशोधन 2) रेनगन सहित)	आईएस 12232 : भाग 2 1995
6	ड्रिप सिंचाई हेतु पालीथलीन माइक्रोट्यूब	आईएस 14482: 1997
7	उर्वरक और रसायन इंजेक्शन प्रणाली भाग 1 वेंचुरी इंजेक्टर	आईएस 14483: (भाग 1) 1997
8	माइक्रो स्पेयर्स	आईएस 14605: 1998
9	मीडिया फिल्टर्स	आईएस 14606: 1998
10	हाइड्रो साइक्लोन सेपरेटर्स	आईएस 14743: 1999
11	जल आपूर्ति हेतु पीवीसी पाइप	आईएस 4985: 1999
12	सिंचाई उपकरण स्प्रिंकलर पाइप विशेषताएँ भाग 1 पालीथीन पाइप	आईएस 14151: (भाग 1) 1999
13	सिंचाई उपकरण स्प्रिंकलर पाइप भाग 2 क्विक कपल्स पालीथीन पाइप	आईएस 14151: (भाग 2) 1999
14	सिंचाई जल की गुणवत्ता	आईएस 11624: 1986
15	एचडीपीई पाइप	आईएस 4984: 1995
16	माउल्टेड पीवीसी फिटिंग्स	आईएस 7834: 1987
17	जीआई और एमएस फिटिंग्स	आईएस: 1879: 1987
18	जीएम वाल्व	आईएस 778: 1984
19	सीआई नॉन रिटर्न वाल्व	आईएस 778: 1984
20	फैब्रीकेटेड पीवीसी फिटिंग्स	आईएस 10124: 1988
21	जीआई पाइप	आईएस 1879: 1987
22	स्लूस वाल्व	आईएस 780: 1984
23	पीई फैब्रीकेटेड फिटिंग्स	आईएस 8360: 1977
24	पीई माउल्टेड फिटिंग्स	आईएस 808: 2003
25	पीवीसी फुट वाल्व ओर एनआरवी	आईएस 10805: 1986
26	सिंचाई उपकरण घूर्णन स्प्रिंकलर भाग 2, डिजाइन और प्रचालन आवश्यकता (परिशोधन 1)	आईएस 12232: 1996 (भाग 1)
27	एमआईएस का डिजाइन, संस्थापन और फिल्ड मूल्यांकन	आईएस 10799: 1999
28	ड्रिप सिंचाई प्रणाली में ब्लाकेन की रोकथाम और निदान	आईएस 14791: 2000


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

फिल्टर के चुनाव के लिए दिशा-निर्देश

क्र. सं.	पानी की गुणवत्ता	फिल्टर का प्रकार	अभ्युक्ति
1	किसी भौतिक अथवा जैविक अशुद्धता रहित	स्क्रीन	स्क्रीन फिल्टर का सुझाव केवल तभी दिया जाए यदि भौतिक अशुद्धता के लिए दिन में एक से अधिक बार फिल्टर तत्वों के साफ करने की जरूरत न हो।
2	भारी भौतिक अथवा जैविक अशुद्धताओं वाला जल स्रोत	केवल स्क्रीन फिल्टर पर्याप्त नहीं होगा	जल की अशुद्धता के आधार पर अतिरिक्त फिल्टर की आवश्यकता हो सकती है।
3	रेत और अन्य भारी कणों वाला जल स्रोत	हाईड्रोसाईक्लोन पृथक्करण अथवा समान प्रवाह क्षमता वाला हाईड्रो साईक्लोन	हाईड्रोसाईक्लोन के बाद डिस्क/ स्क्रीन फिल्टर मुहैया कराया जाएगा।
4	भारी जैविक अशुद्धियों जैसे शेवाल, कचरा व अन्य कूड़े वाला जल स्रोत	मीडिया/ सेंड फिल्टर	मीडिया फिल्टर के बाद डिस्क/ स्क्रीन फिल्टर मुहैया कराया जाना चाहिए।
5	भारी रेत और अन्य जैविक अशुद्धियों जैसे शेवाल और कूड़े वाला जल स्रोत	हाईड्रोसाईक्लोन के बाद रेत फिल्टर का मेल	रेत फिल्टर के बाद डिस्क/ स्क्रीन फिल्टर मुहैया कराया जाना चाहिए।


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संग्राम सिंह)
 उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना की मुख्य विशेषताएं (परिचालन मार्गदर्शिका-भारत सरकार)

- 1 पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजक योजना है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई (एम आई) प्रणाली की इकाई लागत में देय अनुदान की सीमा का 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 2 इस योजना के तहत हर वर्ग के किसान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- 3 किसानों को प्रति लाभार्थी परिवार के अधिकतम पांच हैक्टर के क्षेत्र के लिये सहायता दी जाएगी (पैरा-6.2)।
- 4 व्यापक अंतराल तथा निकटतम अंतराल वाली फसलों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, दोनों प्रणालियों के लिए सहायता उपलब्ध है। तथापि, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए सहायता सिर्फ उन फसलों के मामलों में दी जाएगी जहां ड्रिप सिंचाई किफायती नहीं होती। (पैरा 4.1, तालिका 1)
5. यह सहायता संरक्षित क्षेत्र की खेती सहित ग्रीन हाउस, पॉली हाउस तथा शेडनेट हाउस के सिंचाई प्रणाली के लिये भी दी जाएगी। (पैरा 14.8)
- 6 यह सहायता नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए भी उपलब्ध है जैसे उर्वरक टैंक के साथ उर्वकीकरण/ वेंचुरी प्रणाली, सेंट फिल्टर/ मीडिया फिल्टर, हाइड्रो साईकलोन फिल्टर, सैंड पृथक्कीकरण यंत्र और एमआई प्रणाली के लिए जरूरी अन्य विभिन्न प्रकार के फिल्टर और वॉल्व। (पैरा 14.9)
- 7 पंचायती राज संस्थानों को योजना के प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान में शामिल किया जाएगा। (पैरा 5)
- 8 राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएमसी की अधिशाषी समिति पीडीएमसी की प्रगति की समीक्षा करेगी और राज्यों की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत करेगी (पैरा 4.1)। राज्य स्तर पर राज्य सूक्ष्म सिंचाई समिति (एसएमआईसी) द्वारा जिले में मिशन के कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी (पैरा 4.3)। जिला स्तर पर पीएमकेएसवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समन्वय का कार्य जिला सूक्ष्म सिंचाई समिति (डीएमआईसी) द्वारा किया जाएगा। (पैरा 4.5)
- 9 विभिन्न राज्यों में पीडीएमसी कार्यक्रम का समन्वय तथा निगरानी कार्य एनसीपीएच द्वारा किया जाएगा। (पैरा 4.1)
- क्र इस योजना को राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित योजना के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को सीधे ही सहायता राशि जारी की जाएगी। (पैरा 4.7 एवं 7)
- 10 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिलों की योजना के आधार पर राज्य की वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी और पीडीएमसी की कार्यकारी समिति के अनुमोदन के लिए इसे एसएमआईसी द्वारा अग्रेषित करवाया जाएगा। (पैरा 4.7)
- क्र एस. एम. आई. सी. द्वारा समेकित प्रस्ताव की 25 प्रतियां कृषि मंत्रालय को अग्रेषित की जाएगी। (पैरा-12.4)।
- 11 कार्यान्वयन एजेंसी को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जो चुने गये जिलों को राशि हस्तांतरित करेंगे। डीएमआईसी द्वारा किसानों/ लाभार्थी के माध्यम से प्रणाली आपूर्तिकर्ता को राशि दी जाएगी। (पैरा 7 एवं 17.4)
- 12 जिलों में प्रणाली स्थापन उपयोग हेतु प्रणाली निर्माता का पंजीकरण एसएमआईसी द्वारा किया जाएगा। (पैरा 17.5)
- 13 ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, दोनों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली बी आई एस मार्कयुक्त प्रणाली की आपूर्ति होनी चाहिए और बिक्री के बाद सेवा किसानों की संतुष्टि के लिए उचित एवं सर्वोपरि है। (पैरा 17.5)


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना
सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु प्रवाह पथ (विवरण)

स्ववित्त पोषित (अन्नदाता)	बैंक वित्त पोषित (बैंकदाता)
कृषक	कृषक
उद्यान विभाग को राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रार्थना पत्र	उद्यान विभाग को राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रार्थना पत्र
↓	↓
उद्यान विभाग जिला ईकाई द्वारा प्रार्थना पत्रों की जांच (7 दिन)	उद्यान विभाग जिला ईकाई द्वारा प्रार्थना पत्रों की जांच (7 दिन)
↓	↓
प्रशासनिक स्वीकृति जारी होना (3 दिन)	प्रशासनिक स्वीकृति जारी होना (3 दिन)
↓	↓
सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की स्थापना एवं प्रायोगिक परीक्षण, भुगतान हेतु अंतिम बिल प्रस्तुति (30 दिवस)	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की स्थापना एवं प्रायोगिक परीक्षण, भुगतान हेतु अंतिम बिल प्रस्तुति (30 दिवस)
↓	↓
भौतिक सत्यापन (15 दिन)	भौतिक सत्यापन (15 दिन)
↓	↓
वित्तीय स्वीकृति एवं भुगतान (5 दिन)	वित्तीय स्वीकृति एवं भुगतान (5 दिन)
↓	↓
पत्रावली का पूर्ण निष्पादन (60 दिन)	पत्रावली का पूर्ण निष्पादन (60 दिन)


(राजेन्द्र सिंह)
अनुयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

उद्यान विभाग से पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना 2022-23 के तहत
कृषक परिवार के मुखिया द्वारा अनुदान हेतु

कृषक का
पासपोर्ट
साईज फोटो

आवेदन पत्र

1. लाभार्थी का नाम	2. पिता/पति का नाम
3. जाति	4. कृषक श्रेणी (लघु/सीमांत/अन्य) :
5. गांव	6. ब्लॉक/कस्बा
7. जिला	8. आवेदक के नाम भूमि (हैक्टेयर)
9. खसरा नम्बर जिसमें संयंत्र स्थापित किया जाना है (भू-राजस्व की प्रति संलग्न करें)	
10. पिछले निकटतम समय में कृषक ने या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा माइक्रो इरीगेशन के तहत भारत सरकार की किसी भी योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया गया है अथवा नहीं?	
11. अगर हां तो विवरण दीजिये- सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्रणाली :	
अ. क्षेत्र हैक्टेयर में	ब. फसलान्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर)
स. स्थापना वर्ष	
12. फसल जो लगानी है	13. संयंत्र का प्रकार जिसकी आवश्यकता है {ड्रिप (in/online)/फव्वारा (HDPE/Allm.) 63/75/90 m.m.}
14. फसल जिसके लिए संयंत्र की आवश्यकता है	15. क्या संयंत्र प्लान्टेशन फसल के लिए मांगा गया है या अन्तराशस्य के लिए:-
16. अन्तराशस्य फसल का नाम	17. माइक्रो इरीगेशन के तहत कुल क्षेत्र
18. पानी के स्रोत	19. कुएं का प्रकार खुला अथवा नलकूप
20. जल का स्तर (माप मीटर में)	21. सिंचाई जल की गुणवत्ता की रिपोर्ट संलग्न करें
22. कुएं में प्रतिदिन उपयोग समय	
23. यदि सिंचाई नहर द्वारा की जा रही है तो क्या पानी के संग्रहण हेतु व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हां तो पोण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई x उंचाई)	
24. अन्य कोई फार्म पोण्ड यदि हां तो आकार	
25. यदि पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ?	
26. विद्युत की उपलब्धता (घण्टों में)	
27. विद्युत उपलब्धता का समय	
28. पम्प की क्षमता (हॉर्स पावर में)	
29. डीजल इंजिन का हॉर्स पावर में यदि उपलब्ध है तो	
30. भूमि का आकार	31. भूमि की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें
32. भूमि की गहराई	33. भूमि में जल स्तर की गहराई
34. कृषक बीमा कराने का इच्छुक है या नहीं	
35. लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के बैंक अकाउण्ट विवरण	
खाताधारी का नाम	खाता नंबर
बैंक का नाम	आरटीजीएस - इसीएस कोड
बैंक दूरभाष नंबर	

आवेदक का नाम मय दूरभाष नंबर

आवेदक के हस्ताक्षर

(संजय सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

ड्रिप/मिनि/माइको फववारा संयंत्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में कृषक श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नि
 ग्राम पं. सं.तहसील जिला ...
के खेत पर मेरे द्वारा ड्रिप संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम -
2. पदनाम -
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक -
4. कम्पनी का ब्राण्ड व मैक -
5. मौके पर मेरे द्वारा संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निम्न विवरण पाया गया:-

क. सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयवों की मात्रा/संख्या	आई. एस. मार्क, सी. एम. एल. नम्बर व बैच नम्बर
1.	Screen Filter		
2.	Ventury & manifold		
3.	PVC pipe 90mm,class II;4kg/cm2		
4.	PVC pipe 75mm,class II;4kg/cm2		
5.	PVC pipe 63mm,class II;4kg/cm2		
6.	Plain lateral		
7.	Emmitting pipe / Lateral 32mm /16mm /12mm		
8.	Nozzle		
9.	Micro tube		
10.			
11.			

1. ड्रिप संयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है
2. कृषक द्वारा ड्रिप संयंत्र स्थापित करने का वर्ष माह (कृषक से पूछताछ कर भरा जावे)
3. अवयवों की मात्रा एवं ड्रिप संयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप/फव्वारा संयंत्र पर अनुदान लिया गया है? हां नहीं
6. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण
7. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।
8. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है.....

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

भौतिक सत्यापन करने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
मय नाम, पदनाम व दिनांक

फव्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में कृषक श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नि
 ग्राम पं. सं.तहसील जिला ...
के खेत पर मेरे द्वारा फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम -
2. पदनाम -
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक -
4. कम्पनी का ब्राण्ड व मैक -साईज 63/75/90 एम.एम.
5. मौके पर मेरे द्वारा संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निम्न विवरण पाया गया:-

क्र. सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयवों की मात्रा/संख्या	आई. एस. मार्क, सी. एम. एल. नम्बर व बैच नम्बर
1.	HDPE QCPE Pipe आई.एस. 14151 पार्ट- 2 (6 मीटर)		
4.	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) :IS 12232 part I Brass		
5.	कपलर के साथ फुट बटन एसेम्बली		
6.	जी.आई. राईजर पाईप 20 m.m. X 75 c.m.		
7.	कपलर के साथ बैंड		
8.	पम्प जोड़ने वाला कपलर		
9.	टी कपलर सहित		
10.	एण्ड प्लग		

1. फव्वारा संयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है
2. कृषक द्वारा फव्वारा संयंत्र स्थापित करने का वर्ष माह (कृषक से पूछताछ कर भरा जावे)
3. अवयवों की मात्रा एवं फव्वारा संयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप/फव्वारा संयंत्र पर अनुदान लिया गया है? हां नहीं
5. यदि हां तो वर्ष कम्पनी का ब्रांड क्षेत्रफल
6. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण
7. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।

अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है.....

आपूर्तिकर्ता कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

भौतिक सत्यापन करने वाले
 अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
 मय नाम, पदनाम व दिनांक


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संग्राम सिंह)
 उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना देय अनुदान पर ड्रिप स्थापन हेतु अनुबंध

(500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर)

प्रपत्र

(कृषक द्वारा वहन किया जावे)

त्रि-पार्टी अनुबंध

(ऋणी/अऋणी कृषक)

अनुबंध डीड का कियान्वयन आज दिनांक 202... स्थान....., जिला.....; को एच.डी.एस.....
.....(प्रतिनिधि श्री), कृषक श्री/श्रीमती....., गाँव.....तहसील.....जिला.....
..... राजस्थान एवं ड्रिप/मिनि फव्वारा संयंत्र निर्माता /अधिकृत विक्रेता मैसर्स(प्रतिनिधि श्री ..
.....), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमें निम्न शर्तें संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

1. कृषक अनुदान पर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं। केवल कृषक हिस्सा राशि पर स्थापित होने वाले प्रकरणों में अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता कम्पनी/डीलर को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. कृषक संयंत्र स्थापन हेतु आवश्यक खुदाई व सिविल निर्माण कार्य स्वयं के व्यय पर निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु सहमत हैं।
3. कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माता कम्पनी/डीलर के सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा।
4. कृषक अपने स्वयं के खर्च पर पम्पिंग शीट, संयंत्र के चलाने हेतु प्रोपर वोल्टेज का कनेक्शन अपने खर्च पर उपलब्ध करायेगा।
5. संयंत्र निर्माता द्वारा प्रफोर्मा इनवाइस प्रस्तुत करने व प्रशासनिक स्वीकृति/त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात कृषक /एच.डी.एस. द्वारा कृषक हिस्सा राशि का अग्रिम भुगतान किया जावेगा।
6. कृषक द्वारा ऐसी फिटिंग सामग्री, पार्ट जो कि गॉरण्टी के अधीन नहीं आते एचडीएस की अनुमोदित दर/ वास्तविक दर के अनुसार ऐसे अवयवों का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जल्द से जल्द जैसे ही रख रखाव कार्य समाप्त हो बिल का भुगतान किया जावेगा।
7. एचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रायोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टि के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
8. संयंत्र स्थापना के बाद कृषक द्वारा बकाया/देय राशी संयंत्र आपूर्तिकर्ता को चुकाई जावेगी।
9. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने के 5 वर्ष की अवधि तक कृषक द्वारा स्थल /डिजाईन में बदलाव (विभागीय अनुमति के बिना), संयंत्र हटाना या किसी को बेचान व खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। ऐसा करने की रिथिति में वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित कृषक से अनुदान राशि वसूल योग्य होगी।
10. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा कृषक की माँग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र की रूप-रेखा (डिजाईन) तैयार किया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाईन) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये हैं। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जाकर पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की गई है। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
11. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के 30 दिन की समयावधि में ड्रिप संयंत्र आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा।
12. संयंत्र निर्माता कम्पनी एचडीएस को लिखित रूप में या पोर्टल के माध्यम से ड्रिप स्थापना की सूचना देगी जिससे कि एचडीएस/अधिकृत संस्था 15 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
13. संयंत्र निर्माता कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि यथोचित दूरी पर नाली खुली रखी जावे ताकि भौतिक सत्यापन और प्रायोगिक परीक्षण एचडीएस/अधिकृत संस्था द्वारा की जा सके।
14. भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के उपरांत संयंत्र निर्माता कम्पनी संयंत्र को कृषक के सुपुर्द कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद देनी होगी।
15. एचडीएस द्वारा अनुमोदित संयंत्र आपूर्तिकर्ता एक माह के भीतर संयंत्र नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक के अन्य सप्लायर के चुनने की स्वतंत्रता होगी, विलम्ब की तिथि प्रशासनिक स्वीकृति अनुबन्ध की तिथि से गिना जावेगा।
16. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा, कृषक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा या ऑनलाइन प्रक्रिया में यह कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

(राजेंद्र सिंह)
संयंत्र निर्देशक उद्यान (वि.)

(सिग्राम सिंह)
उप निर्देशक उद्यान (वि.)

17. एचडीएस या संयंत्र निर्माता कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
18. संयंत्र निर्माता द्वारा अनुबन्धित समयावधि में कोई बनावट संबंधी विकार या अन्य बनाते समय रही कमी में कलपुर्जों को बिना किसी शुल्क के बदलना होगा।
19. संयंत्र निर्माता कम्पनी को रिपेयर, बदलने हेतु 7 कार्य दिवस का समय देना होगा, यह शिकायत लिखित में किसान की ओर से एचडीएस को प्राप्त होगी। संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा सामान बदलने का कार्य 7 दिवस में करना होगा ताकि सिंचाई पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
20. संयंत्र निर्माता कम्पनी कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन ले-आउट कार्य उपलब्ध करायेगा, जिसमें सिंचाई अवधि उर्वरक देने की अवधि तकनीकी व आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट (फसलवार) संयंत्र के रख रखाव संबंधी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
21. संयंत्र निर्माता कम्पनी फसल बुआई के समय से पूर्व तथा फसल कटाई से पूर्व सीजन में स्वयं उपस्थित होकर प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था करेगा, वर्ष में कुल 4 प्रशिक्षण कार्य होंगे।
22. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा एच.डी.एस. प्रभारी अन्य विशेषज्ञ मुख्यालय से/तथा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण कार्य हेतु बुलाये जावेंगे।
23. प्रशिक्षण अवधि के दौरान संयंत्र निर्माता कम्पनी निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देगी।
- I. नई फसल प्रजाति/संकर बीज, ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार पौध, कलमी (ग्राफ्ट्स) इत्यादि, बूंद-बूंद सिंचाई अन्तर्गत पौधरोपण पर मार्गदर्शन।
- II. बूंद-बूंद सिंचाई सिद्धान्त एवं जल प्रबंध, परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न फसलों हेतु सिंचाई समय सारणी, कम गुणवत्ता के सिंचाई जल का प्रबन्ध एवं विभिन्न जल स्रोतों व सूखा प्रबन्ध।
- III. उर्वरकीकरण विधियां, मिश्रित उर्वरकों का सही चयन, पोषक तत्वों का पोषण।
- IV. बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र रखरखाव-फिल्टर क्रिया, फलश क्रिया, बहाव मूल्यांकन, अम्लीकरण, क्लोरोनीकरण आदि।
- V. व्यवसायिक सघन खेती के सुरक्षा उपाय, सावधानियां इत्यादि।
- VI. कृषक के खेत पर विशेषज्ञों के भ्रमण आयोजित कराना, कृषि आदान निर्माता, बैंक ऋण प्रदाता, बीमा कम्पनियों व निरीक्षण संस्था के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये प्रशिक्षण आयोजित कराना।
24. एच डी एस/ जिला अधिकारी द्वारा पात्र प्रकरणों पर अविलम्ब (अधिकतम 7 दिवस) प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
25. विभाग / एच डी एस द्वारा संयंत्र स्थापन की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस में भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा।
26. डी.एच.डी.एस. द्वारा पात्र प्रकरणों में निर्धारित समयावधि वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर अऋणी प्रकरणों में सम्बन्धित कृषक/अधिकृत विक्रेता या संयंत्र निर्माता कम्पनी को शेष रही अनुदान राशि का भुगतान कृषक सहमती आधार पर किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में एच.डी.एस./संबन्धित बैंक द्वारा शेष अनुदान/कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
27. विभाग संयंत्र स्थापना के बाद कभी भी संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सकता है। संयंत्र नहीं पाये जाने पर/चालू नहीं रहने पर जाँच में कृषक की गलती पाई जाती है तो अनुदान की रिकवरी की जा सकती है।
28. संयंत्र निर्माता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा बिल जारी किये जाने की स्थिति में कृषक की सहमति एवं निर्माता कम्पनी द्वारा बिल को प्रमाणित करने एवं अधिकृत विक्रेता को भुगतान की अभिशंषा एवं प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकृत विक्रेता को बिल का भुगतान किया जा सकेगा। यह प्रत्येक केस/प्रकरण में अलग अलग होगा।
29. संयंत्र स्थापना में पायी गयी किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबन्धित संयंत्र निर्माता कम्पनी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी

एच.डी.एस प्रतिनिधि

संयंत्र निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता प्रतिनिधि

कृषक


(राजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule 150)

Form of Utilization Certification (provisional)

S. No.	Letter No./Date	Amount
1		
2		
	Total	

I. Certified that out of Rs. lakh (in words) of grants-in-aid sanctioned during the year 202..-2.. in favour of **Micro Irrigation under PMKSY** under this Ministry/ Department Letter No. given in the margin and Rs. lakh (in words) has been utilized for the purpose of approved scheme for which it was sanctioned and that the balance of remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No. dated.) will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the year 202..-2..

II. Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled /are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of checks exercised

Details enclosed

Signature

**DD/AD Horti/Member Secretary,
HDS,**

Date:


(राजेंद्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा कृषि/उद्यान निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 202...-2... के दौरान इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना में निम्न कृषकों को ड्रिप/फव्वारा संयंत्र स्थापित करने व विभागीय कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर एवं कृषक द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के आधार पर कृषकों के नाम के आगे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

S. No.	Name of farmer & father/ husband	Caste	Village	Panchayat Samiti	Tehsil	Category			Crop	Sprinkler Size (63/75/90 mm)/ Drip Spacing	Area (ha)	Bill		Subsidy (Rs)	Supplier/ company	Brand	Registration Date	Remarks
						SC/ST/G	SF/MF/G	M/F				Date	Amount (Rs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
Total																		

उप निदेशक/स.नि. उद्यान



(संजिव सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)



(राजेंद्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति आदेश

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा कृषि/उद्यान निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 202...-2... के दौरान इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना में निम्न कृषकों को छिप/फव्वारा संयंत्र स्थापित करने व मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक के आधार पर कृषकों के नाम के आगे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत करने की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

S. No.	Name of farmer & father/husband	Caste	Village	Panchayat Samiti	Tehsil	Category			Crop	Sprinkler Size (63/75/90 mm)/ Drip Spacing	Area (ha)	Bill			Subsidy (Rs)			Supplier/ Company	Brand	Registration Date	Administrative Sanction		Remarks
						SC/ST/G	SF/MF/G	M/F				Date	Amount (Rs)	CSS	State Share	Addl Drip Subsidy	Total				No.	Date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 I	15 II	15 III	16	17	18	19	20	21	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
Total																							

(राजेंद्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
सप निदेशक उद्यान (वि.)

उप निदेशक/स.नि. उद्यान

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना लाभान्वित कृषक सूची

S. No.	Name of farmer & father/husband	Caste	Village	Panchayat Samiti	Tehsil	Category			Crop	Sprinkler Size (63/75/90 mm)/ Drip Spacing	Area (ha)	Bill		Subsidy (Rs)	Supplier/ Company	Brand	Registration Date	Administrative Sanction		Financial Sanction		DD/Cheque issue date	Remarks
						SC/ST/G	SF/MF/G	M/F				Date	Amount (Rs)					No.	Date	No.	Date		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
Total																							

(राजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

उप निदेशक/स.नि. उद्यान

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Monthly Progress Report : PDMC-MI

District			Month					
Component	Farmer's category			Physical			Financial (lac Rs)	
				Target (ha)	Achievement (ha)	Achievement (Nos)	Target	Achievement
Drip	Gen	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	SCP	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	TSP	Male	SF					
			MF					
			Other					
Female		SF						
		MF						
		Other						
Total								
Micro Sprinkler	Gen	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	SCP	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	TSP	Male	SF					
			MF					
			Other					
Female		SF						
		MF						
		Other						
Total								
Mini Sprinkler	Gen	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	SCP	Male	SF					
			MF					
			Other					
		Female	SF					
			MF					
			Other					
	TSP	Male	SF					
			MF					
			Other					
Female		SF						
		MF						
		Other						
Total								

(रजिन्द्र सिंह)
संयोजक निदेशक उद्यान (वि.)

(सिधाम सिंह)
संयोजक निदेशक उद्यान (वि.)

Sprinkler	Gen	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
	SCP	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
TSP	Male	SF							
		MF							
		Other							
	Female	SF							
		MF							
		Other							
Total									
Raingun	Gen	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
	SCP	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
TSP	Male	SF							
		MF							
		Other							
	Female	SF							
		MF							
		Other							
Total									
Drip Demonstration	Gen	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
	SCP	Male	SF						
			MF						
			Other						
		Female	SF						
			MF						
			Other						
TSP	Male	SF							
		MF							
		Other							
	Female	SF							
		MF							
		Other							
Total									
Adm. Charges (1%)									
G.Total									


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संग्राम सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रगति रिपोर्ट मुहैया कराने हेतु प्रोफार्मा

राज्य का नाम :

जिले का नाम :

रिपोर्ट की अवधि :

प्राप्त विवरण प्रगति का ब्यौरा :

क्र.सं.	फसल	माह के दौरान						संचयी प्रगति				
		पौधे का अंतराल (मी. × मी.)	लाभार्थी (सं.)	लक्ष्य (है.)	उपलब्धि	परिव्यय (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभार्थी (सं.)	लक्ष्य (है.)	उपलब्धि	परिव्यय (लाख में)	व्यय (लाख में)
ए.) ड्रिप सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
बी.) सूक्ष्म स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
सी.) मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
डी.) पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
ई.) अर्धस्थायी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
एफ.) अधिक मात्रा वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन)												
उप योग												
जी.) प्रदर्शन-ड्रिप सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
एच.) प्रदर्शन-मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली												
उप योग												
कुल योग												


(राजेन्द्र सिंह)
पंयक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप. निदेशक उद्यान (वि.)

TIN No.

M/s

Contact:

VAT INVOICE/ DELIVERY CHALLAN

No.
Name of the farmer Sh.
Village
Panchayat samiti
Tehsil
District
Tel./ Cell contact

Date
System
Crop
Area (ha)
Size
Make
Brand

Sprinkler/ Raingun

63/ 75/ 90 mm
HDPE/ Alluminium

S. NO.	Particular of Items	CM/L No.	Size	Unit	Qty	Unit Cost (in Rs.)	Amount (In Rs.)
A	Water Carrier System						
	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 2; 3.2 kg / cm ² IS:14151 Part II 63mm diameter & 6m long)						
	HDPE Pipes with Quick Coupled (2.5 kg/cm ² IS:14151 Part II, 75mm diameter & 6m long)						
B	Water Distribution System						
	Sprinkler Nozzels (1.7 to 2.8 kg/ cm ²) IS 12232 Part I						
C	Others:Fittings & Accessories						
	Quick Coupled HDPE 75mm Foot batten Assembly						
	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long						
	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75mm)						
	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 75mm						
	Quick Coupled HDPE End Plug 75mm						
	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler 75mm						
Gross Amount (A+B+C)							
VAT if any							
Round off							

Amount in words Rs.


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

Authorised Signatory

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना मुहैया कराने के लिए प्रोफार्मा

वर्ष

भाग ए: संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम							
जिले का नाम							
1. कवर क्षेत्रफल भौतिक (हे.) और वित्तीय (रु.)							
ए. ड्रिप सिंचाई प्रणाली							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग ड्रिप सिंचाई प्रणाली							
बी. सूक्ष्म सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग सूक्ष्म सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली							
सी. मिनी सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग मिनी सिप्रंकलर सूक्ष्म सिंचाई							
डी. पोर्टेबल सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग पोर्टेबल सिप्रंकलर सूक्ष्म सिंचाई							
ई. अर्ध-प्रणाली सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग अर्ध-स्थायी सिप्रंकलर सिंचाई							
एफ. अधिक घनफल वाली सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन)							
क.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग अधिक घनफल वाली सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन)							

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

जी. प्रदर्शन-ड्रिप सिंचाई के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली							
क्र.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग ड्रिप सिंचाई प्रणाली							
एच. प्रदर्शन-सूक्ष्म सिप्रकलर सिंचाई प्रणाली							
क्र.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग सूक्ष्म सिप्रकलर सिंचाई प्रणाली							
आई. प्रदर्शन-मिनी सिप्रकलर सिंचाई प्रणाली							
क्र.सं.	फसल	अंतराल (मी.ग मी.)	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	शामिल कुल लागत (रु.)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
						भास का अंश	रास का अंश
उप योग मिनी सिप्रकलर सिंचाई प्रणाली							


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक नवान (वि.)


 (संग्राम सिंह)
 संयुक्त निदेशक नवान (वि.)

भाग बी. जिले का सामान्य ब्यौरा

1	भूमि प्रयोग				
	कं. सं.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हे.)	कुल का प्रतिशत	
	1	कृषि			
	2	वन			
	3	बंजर भूमि			
4	अन्य				
2	औसत मासिक वर्षापात (मिमी)				
3	औसत मासिक तापमान (से.)				
4	मृदा की किस्म				
5	कृषि के तहत क्षेत्रफल (वर्ष)				
	ए	कृषि चावल गेहूँ दालें तिलहन			
6	बी	बागवानी फल सब्जियाँ मसाले फूल औषधीय व खुशबूदार पौधे नारियल सुपारी काजू कोको			
	6 सिंचित क्षेत्र				
	ए)	अधिक सिंचाई			
	बी)	मध्यम सिंचाई			
	सी)	अल्प सिंचाई			
	7 सिंचाई क्षेत्र				
	ए)	भू-जल			
	बी)	सतही जल			
	8	जिले में नहर (नाम और कुल खेती योग्य सामान्य क्षेत्रफल)			
	9	भू-जोत की स्थिति (संख्या और कुल क्षेत्रफल) 1,1-2, 2-3, 3-4, 4 हैक्टेयर से अधिक			
10	राज्य/जिले में कृषि/बागवानी प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या				
11	जिले में निकटस्थ पीएफडीसी का नाम				
12	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कवर फसलें				
13	जिलों में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली घटकों में औद्योगिक इकाईयों के नाम				
	ए)	राज्य/जिले में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के निर्माताओं/वितरकों/डीलरों की सूची			
बी)	राज्य/जिले में द्रव्य उर्वरक निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सूची				
14	जिले में संभावित सहायता के साथ-साथ कृषि क्षेत्र उपलब्धता में पेशेवर संस्थान/संगठन/विश्वविद्यालय, जो उन्हें सहायता दे सकते हैं				
15	वर्तमान में किसानों की संस्थाएँ और उनके मुख्य कार्य				
16	जिले में केवीके /केजीके				
17	सूक्ष्म /स्प्रिंकलर सिंचाई घटकों/प्रणालियों पर जिला कर और प्रभार				
18	चुंगी				
19	घटकों पर बिक्री कर				
20	प्रणाली पर बिक्री कर				

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

भाग सी: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा

1. ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत कवर क्षेत्र (वर्षवार/जिले में फसलवार) (है.)									
2. ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र									
	योजना घटक	क.सं.	जिले का नाम	फसल का नाम	पौधे का अंतराल (मी.मी.)	लामार्थी (सं.)	कुल लागत (रु. लाख)	वित्तीय परिव्यय (रु.)	
								भास का अंश	रास का अंश
ए	ड्रिप सिंचाई								
बी	मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली								
सी	सूक्ष्म स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली								
डी	पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई								
ई	अर्ध-स्थायी (सेमी परमानेन्ट) स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली								
एफ	बड़ी मात्रा की स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन)								

बैंक का नाम और पूरा ब्यौरा जहां भारत सरकार की सहायता का भुगतान किया जाना है


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक, प्रधान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक, प्रधान (वि.)

हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)
कार्यान्वयन एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापना के लिए जल और विद्युत की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु खेत स्तरीय प्रश्नावली		
क. सं.	आवेदक का नाम	
1		
2	आवासीय पता	
3	फार्म का पता/ स्थान (क. सं. का उल्लेख किया जाए)	
4	फार्म / प्लॉट का क्षेत्रफल (है.)	
5	ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्र	
6	फसल	प्लॉट 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4
	फसल के तहत कुल क्षेत्रफल (है.)	
	पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच अंतराल (मी.)	
	पौधों की कुल संख्या	
	मृदा की किस्म (स्पष्ट करें)	
7	लाभार्थी द्वारा किस जल स्रोत का प्रयोग करने का प्रस्ताव है	खुला कुआ द्यूब वैल/ बोर वैल सतही प्रवाह अन्य (स्पष्ट करें) भंडारण टैंक
8	खुला कुआ	
ए.	जल तालिका की गहराई (मी. में)	
बी	दिनांक और मौसम जिसके दौरान मूल्यांकन/ सर्वेक्षण किया गया था।	
सी	ड्रा-टाउन मीटर में (कृपया अनुबंध देखें)	
डी	भू-तल से उपर निकास पाईप की उंचाई	
ई	जल उपलब्धता का मूल्यांकन (लीटर प्रति सैकण्ड में)	
एफ	स्रोत में जल उपलब्धता निर्धारित करने हेतु विधि	
जी	कुल अवधि जिसके दौरान पंप चलाया गया अथवा कुल खेत/ प्लॉट के लिए प्रभावी पंपिंग के घंटे	
एच	पंपिंग की अवधि जिसके बाद स्थिर जल स्तर प्राप्त हुआ (घंटे/ मिनट)	
आई	प्रयुक्त पंपिंग/ निर्माता का उल्लेख करें (बिजली/ डीजल)	
जे	प्रयुक्त पंप की हॉर्स पावर	
के	निकास पाईप का व्यास	
9	द्यूब वैल/ बोर वैल	
ए.	जल तालिका की गहराई (मी. में)	
बी	दिनांक और मौसम जिसके दौरान मूल्यांकन/ सर्वेक्षण किया गया था।	
सी	ड्रा-टाउन मीटर में (कृपया अनुबंध देखें)	
डी	भू-तल से उपर निकास पाईप की उंचाई	
ई	जल उपलब्धता का मूल्यांकन (लीटर प्रति सैकण्ड में)	
एफ	जल उपलब्धता निर्धारित करने हेतु विधि (आयतनमापी/ समन्वय/ कोई अन्य)	
जी	कुल अवधि जिसके दौरान पंप चलाया गया	
एच	पंपिंग की अवधि जिसके बाद स्थिर जल स्तर प्राप्त हुआ	
आई	प्रयुक्त पंपिंग/ निर्माता का उल्लेख करें (बिजली/ डीजल)	
जे	प्रयुक्त पंप की हॉर्स पावर	
के	निकास पाईप का व्यास	
10	सतही प्रवाह/ पहाड़ी क्षेत्रों में धारा	
ए.	खराब (लीन) मौसम के दौरान जल-प्रवाह दर (लीटर/ सैकण्ड में)	
बी	जल-प्रवाह दर के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधि	
सी	क्या भंडारण टैंक उपलब्ध है	
डी	यदि हां., भंडारण टैंक की क्षमता	
ई	जल के भंडारण टैंक में मोड़ने के लिए प्रयुक्त ढांचा	

ड्रिप/ सिप्रंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापना के लिए जल और विद्युत की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु खेत स्तरीय प्रश्नावली		
क. सं.	आवेदक का नाम	
11	नहर के पानी के प्रयोग से भंडारण टैंक	
ए.	नहर के वितरण स्रोत से लाभार्थी के खेत की दूरी	
बी	भंडारण टैंक बनाया गया है अथवा लाभार्थी द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव है	
सी	यदि हां., भंडारण टैंक की क्षमता ६	
डी	भूमि के स्तर से भंडारण टैंक की उंचाई	
ई	"बारी" प्रणाली के अनुसार नहर में पानी की उपलब्धता (सप्ताह/ पखवाडा/ माह की संख्या)	
एफ	नहर से भंडारण टैंक तक जल ले जाने हेतु लाभार्थी के पास उपलब्ध पंप (बिजली/ डीजल) (निर्माता का उल्लेख करें)	
जी	पम्प की हॉर्स पावर (एचपी)	
12	पम्प का ब्यौरा	
ए.	क्या लाभार्थी के पास पंप है	
बी	यदि हां., किस निर्माता का है ६ (कृपया स्पष्ट करें)	
सी	पंप की हॉर्स पावर (एचपी) कितनी है ६	
डी	बिजली पंप के मामले में प्रतिदिन घंटों की संख्या जिस दौरान सामान्यतः बिजली उपलब्ध होती है	
ई	डीजल पंप के मामले में, निकटतम डीजल स्टेशन का नाम बताएं	
एफ	क्या लाभार्थी का नया पंप खरीदने का प्रस्ताव है (यदि हां. निर्माता और एचपी बताएं)	
जी	लाभार्थी के पास अन्य फार्म मशीनरी (जैसे ट्रैक्टर, कृषक हल, थ्रेशर आदि हां. निर्माता और एचपी बताएं)	
13	निकटवर्ती ड्रिप स्टेशन	
ए	इस गांव में कितनी ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई गई है	
बी	इन स्तरीयों में लगभग कितना क्षेत्र है	
सी	मौजूदा ड्रिप सिंचाई प्रणाली में किस समस्या को सामना करना पड़ रहा है	
14	एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जल और विद्युत उपलब्धता का विश्लेषण	
ए.	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत लाभार्थी द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए जल की कुल आवश्यकता (लीटर प्रति दिन/ पौधा पौधों की कुल संख्या अथवा लीटर प्रति है. में कुल जरूरत कुल क्षेत्रफल)	
बी	जल की कुल उपलब्धता	
सी	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत लाए जाने के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्रफल (है.)	
डी	उपलब्ध पंप की हॉर्स पावर (एचपी)	
ई	अपेक्षित पंप की हॉर्स पावर (एचपी)	
एफ	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत कवर किए जाने के लिए क्षेत्रफल संबंधी सिफारिशें (यदि आवश्यक हो, पम्पिंग क्षमता में बढ़ोतरी संबंधी सिफारिश भी दें)	
जी	सिफारिशें	


(राजेन्द्र सिंह)
उप. निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप. निदेशक उद्यान (वि.)

विभिन्न फसलों के लिए सुझाया गया प्रणाली चयन

फसल	प्रणाली
अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार	स्प्रिंकलर
मूंगफली	स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप
आलू	मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप/स्प्रिंकलर
केला	ड्रिप
गन्ना	ड्रिप
गन्ना पंक्तिबद्ध रूप में अंतः फसल के साथ	मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप
अन्य फसल के साथ उद्यान (आर्किड) फसलें	ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर
प्याज/लहसुन/धनियां और अन्य छोटी संतृप्त फसलें	मिनी स्प्रिंकलर
सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि और करेले ज्यादा अंतराल जैसे खीरा और अंगूर	ड्रिप
कपास/अरहर/अरंड आदि	ड्रिप
नर्सरियां	माइको स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर
छोटे और सीमांत भूमि/किसान	स्प्रिंकलर/ड्रिप
पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र	ड्रिप
लवणीय जल और अधिक फास्फोरस वाला जल	ड्रिप


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक, उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

क्लोगिंग से संबंध में जल की गुणवत्ता का मापदंड

परम्परागत सिंचाई के लिए जल की गुणवत्ता के मापदंड ड्रिप के जरिये सिंचाई के मापदंडों से भिन्न है। पानी की विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता के क्लोगिंग खतरे नीचे दिए गए हैं:

सिंचाई जल में पानी की गुणवत्ता के आधार पर क्लोगिंग की सीमा

पानी की गुणवत्ता	क्लोगिंग का खतरा		
	अति अल्प	सामान्य	गंभीर
तैरते हुए ठोस पदार्थ (पीपीएम)	<50	50-100	>100
पीएच	<7.0	7.0-8.0	>8.0
टीडीएस (पीपीएम)	<500	500-2000	>2000
मैंगनीज (पीपीएम)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
लौह (पीपीएम)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
कैल्शियम और मैंगनिशियम (पीपीएम)	<20	20-40	>40
हाइड्रोजन सल्फाइड (पीपीएम)	<0.5	0.5-2.0	>2.0
जीवाणुओं की सुख्या (सं./मिली)	<10000	10000-50000	>50000

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

(संग्राम सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तर से
शपथ पत्र / संस्तुती/ अनुमोदन
कृषक/ लाभार्थी शपथ पत्र

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि -

1. मुझे मेरे/हमें हमारे खेत पर वर्ष भर नियमित रूप से(फसल का उल्लेख करें) फसलें ड्रिप पर उत्पादन करने हेतु हैक्टेयर में ड्रिप संयंत्र की आवश्यकता है।
2. उक्त ड्रिप संयंत्र मेरे द्वारा नियमित रूप से फसल सिंचाई एवं फर्टिगेशन हेतु काम में लिया जावेगा।
3. मैं/हम भली भाँती जानता हूँ / जानते हैं कि कि सीमित जल संसाधन के इष्टतम उपयोग तथा कृषक की आमदनी में वृद्धि के मध्येजनर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। स्थापित ड्रिप संयंत्र का नियमित रूप से उपयोग न होने की स्थिति में इस हेतु किया गया राजकीय व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में आयेगा। अतः संयंत्र के नियमित रूप से काम में न लेने की जानकारी अगर विभाग को मिलती है तो उक्त संयंत्र हेतु दिये गये अनुदान की वसूली हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

लाभार्थी/कृषक के हस्ताक्षर

आपूर्तिकर्ता निर्माता की तरफ से तकनिकी संस्तुती

प्रमाणित किया जाता है कि -
पर्याप्त है।

2. कृषक द्वारा प्रस्तुत फसल चक्र वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से ड्रिप संचालन हेतु तकनिकी रूप से उपयुक्त है।
3. कृषक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सहमति योग्य है।

निर्माता एग्रोनोमिस्ट/कृषि अभियन्ता

विभागीय संस्तुती/अनुमोदन


प्रमाणित किया जाता है कि कृषक शपथ पत्र व निर्माता संस्तुती पर संतुष्टी तथा कृषक से उसके खेत में सम्पर्क करने व सन्तुष्टि के आधार पर कृषक द्वारा आवेदित क्षेत्रहैक्टेयर/आवेदित क्षेत्र की बजाय.....हैक्टेयर पर न्यून अन्तराल ड्रिप दिया जाना संस्तुतित है।

सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी

उक्त संस्तुती पर सहमति प्रदान की जाती है।

सदस्य सचिव, डीएचडीएस

है।


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


(संग्राम सिंह)
उप निदेशक उद्यान (वि.)

उप निदेशक, उद्यान/कृषि

भौतिक सत्यापन हेतु चैक लिस्ट

क.सं.	विवरण दस्तावेज	पैज नम्बर
1	अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र	
2	कम्पनी के अधिकृत अधिकारी/अभियंता द्वारा प्रमाणित संयंत्र बिल	
3	निर्धारित प्रपत्र में संयंत्र का डिजाईन मैप (ड्रिप)	
4	तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रपत्र (ड्रिप)	
5	कृषक की हिस्सा राशि प्राप्ति रसीद	
6	कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा।	
7	कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र डीलर/निर्माता द्वारा	
8	अनुदान भुगतान बाबत कृषक का सहमति-पत्र	
9	कम्पनी का वारण्टी पत्र	
10	डीलर का कम्पनी द्वारा ओथोराइजेशन प्रमाण-पत्र की प्रति	
11	त्रिपार्टी अनुबंध-पत्र (500/-)	
12	संयंत्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कम्पनी के अधिकृत कर्मी द्वारा	
13	संयंत्र की कृषक एवं भौतिक सत्यापनकर्ता के साथ फोटो	
14	फार्म नं. -27 (2.0 है0 से अधिक)	
15	कृषक/डीलर/ निर्माता कम्पनी के राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नं0 मय IFSC Code का विवरण (कॉन्सिल चैक/पास बुक की फोटो प्रति)	
16	


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संग्राम सिंह)
 उप निदेशक उद्यान (वि.)

**PHYSICAL VERIFICATION REPORT OF MIS SYSTEM BY AUTHORIZED
ENGINEER / AGRONOMIST OF MANUFACTURER**

Date: _____

नाम कम्पनी नाम अधिकृत इंजिनियर/ एग्रोनोमिस्ट.....
 मो. नं. नाम कृषक पिता/ पति...
 ग्राम..... ग्राम पंचायत..... पं.सं.....
 तह..... विधानसभा क्षेत्र जिला राज. के खेत
 पर हमारी कम्पनी/ कम्पनी के अधिकृत डीलर द्वारा..... है. में फव्वारा/ मिनि/ ड्रिप
 संयंत्र स्पेशिंग में स्थापित किया है। दिनांक को मेरे द्वारा कृषक
 के खेत में स्थापित संयंत्र को चालू करके निरीक्षण किया गया। संयंत्र पूर्ण रूप से चालू पाया गया
 एवं सभी उपकरण सुचारु रूप से काम कर रहे थे। संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जो
 निम्नानुसार है—

(A)	GEOTAGGING	AS PER REGISTERED MAUFACTURER ENGINEER/ AGRONOMIST		VERIFICATION BY DEPARTMENT OFFICIAL / AUTHORIZED		REMARKS
		LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	
1	WATER SOURCE					
2	HEAD UNIT					
3	FIELD NW CORNER -A					
	ANY OTHER CORNER - B					
	ANY OTHER CORNER - C					

**(B) VERIFICATION BY MANUFACTURER AUTHORIZED ENGINEER / AGRONOMIST PRIOR TO
SUBMISSION OF FILE FOR DEPARTMENT PHYSICAL VERIFICATION**

S. No.	NAME COMPONET	BRAND & Manufacturer	NOS. / LENGTH IN MTR.	YEAR OF MANUFAC TURE	BIS Number	CM/L Number	BATCH Number
1	Screen / Disc Filter (capacity.....CuM)						
2	Hydrocyclone/ Sand Filter (capacityCuM)						
3	Ventury/ Ferti. Tank/ Pump.....capacity						
4	PVC Pipe 75mm						
5	PVC Pipe 63mm						
6	Plain lateral 16mm / 32mm						
7	Emmitting pipe						
8	Control Valve						
9	Flush Valve						
10	Nozzle / Dripper						65


 (राजेंद्र सिंह)
 संबुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संजिव सिंह)
 उप निदेशक उद्यान (वि.)

Undertaking by Authorized Engineer / Agronomist of Registered Manufacturer

(For Mini Sprinkler / Drip)

It is certified that the:

1. System has been installed according to design submitted and as per Department Guidelines.
2. Pressure of irrigation water in the system and dripper flow capacity has been checked and found as per the requirement and design. The discharge of water by the system in the field is uniform. Filter system has been installed as per requirement and quality of water. The Ventury (Fertilizer Injector system) is working satisfactory.
3. All components used in system installation are as per ISI standard and registered component list at Horticulture Directorate at Jaipur.
4. Head unit is safely protected by cement concrete foundation and all Drip line (Laterals) have been cut & installed in field according to design and bill submitted to the Department.
5. The farmer has been provided the installation / operation manual and has been provided training on how to operate and use the system.
6. The documents related to the warranty of the system have been provided to the farmer. The address and contact details of nearest After Sales Service center has been provided to the farmer.

Enclosure: Physical Verification photograph along with the farmer & the system

Signature of Farmer		Signature of Authorized Engineer / Agronomist	
Name of Farmer with Father / Husband name		Name	
Address of the site where system has been installed		Qualification	
Contact Number		Contact Number	


 (राजेन्द्र सिंह)
 संयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)


 (संजिव सिंह)
 उप निदेशक उद्यान (वि.)

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/3528-806

दिनांक: 30.9.2022

- (1) संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड कोटा, जयपुर एवं जोधपुर।
- (2) उप निदेशक उद्यान संभाग भरतपुर, उदयपुर, जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर।
- (3) उप निदेशक उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
- (4) सहायक निदेशक उद्यान, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर बून्दी, चूरू, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, हनुमानगढ़ जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरौही, स.माधोपुर, करौली, श्रीगंगानगर, टोंक।

विषय:- वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में भौतिक सत्यापन के संबंध में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 1614-1920 दिनांक 08.07.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा वर्ष 2022-23 के राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये विभागीय दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या "6" (भौतिक सत्यापन) में आंशिक संशोधन संलग्न अनुसार किया जाता है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(चेतन द्विवेदी)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/3528-806

दिनांक: 30.9.2022

1. संयुक्त सचिव, RFS, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी,.....
5. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
6. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य, जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
7. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
8. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड, जयपुर/कोटा/भीलवाड़ा/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर/सीकर/बीकानेर/जालोर/श्रीगंगानगर/इ.गा.न.प. बीकानेर/सी.ए.डी., कोटा
10. उप निदेशक उद्यान, शष्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
11. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
12. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....
13. उप निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
14. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार).....


(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार)

विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जारी किये गये दिशानिर्देशों में समावेशित करने हेतु वांछित संशोधनों का विवरण

दिशानिर्देश बिन्दू संख्या '6' भौतिक सत्यापन

प्रचलित दिशानिर्देश 2022-23 (08.07.2022 अनुसार)

क.सं.	पद भौतिक सत्यापन कर्ता	
	अनुदान राशि (रूपये लाख)	फव्वारा / रेनगन / ड्रिप / मिनि स्प्रिकंलर
1	1.00 लाख तक	कृ.प. + स.कृ.अ. या ऊपर
2	1.00 लाख से अधिक	कृ.प. / स.कृ.अ + कृ.अ. या ऊपर

समावेश हेतु संशोधन

क.सं.	पद भौतिक सत्यापन कर्ता	
	अनुदान राशि (रूपये लाख)	फव्वारा / रेनगन / ड्रिप / मिनि स्प्रिकंलर
1	1.50 लाख तक	कृ.प. + स.कृ.अ. या ऊपर
2	1.50 लाख से अधिक	कृ.प. / स.कृ.अ + कृ.अ. या ऊपर



(राजेन्द्र सिंह)
अयुक्त निदेशक उद्यान (वि.)

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdhh.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/6729-7035

दिनांक 19.01.2023
29.03.23

संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड कोटा, जयपुर, जोधपुर भरतपुर उदयपुर, जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर।
उप निदेशक उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बार, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर,
बून्दी, झूलू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनु चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली प्रतापगढ़
राजसमंद, सीकर, सिराही, स.माधोपुर, करौली, श्रीगंगानगर, टोंक।

विषय: वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के
कियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन वाक्य।

प्रसंग: 1. आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 1614-1920 दिनांक 08.07.2022।

2. भारत सरकार के राजपत्र 532 दिनांक 04.12.2020।

3. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.No.:17-21/2020-RFS-III दि. 03.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक आदेशों के क्रम में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म
सिंचाई योजना के प्रचलित दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन जारी किये जाते हैं-

1. ड्रिप कम्पोनेंट के मैन व सब-मैन पाईप में एचडीपीई (आईएस 4984 व आईएस 17425:2020) संयंत्र की वास्तविक
आवश्यकता के अनुसार संबंधित श्रेणी/पार्ट व प्रेशर रेटिंग के पाईप अनुमत होंगे (बिन्दू संख्या -ब 16)।
2. फव्वारा पाईप पर अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्मित आईएस 14151 के स्थान पर संशोधन उपकरण निर्मित आईएस
17425:2020 अनुदान हेतु अनुमत होंगे (बिन्दू संख्या-ब 16 व Annexure 10)।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्यान (विस्तार)

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PMKSY-MI/GL/2022-23/6729-7035

दिनांक: 19.01.2023
29.03.23

1. संयुक्त सचिव, RFS, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी.....
5. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
6. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य, जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
7. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
8. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड, जयपुर/कोटा/भीलवाड़ा/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर/सीकर/
बीकानेर/जालोर/श्रीगंगानगर/ड.मा.न.प. बीकानेर/सी.ए.डी., कोटा
10. प्रभारी, राजकिसान पोर्टल एवं संयुक्त निदेशक (SA), DoITC, पंत कृषि भवन, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि राजकिसान
पोर्टल पर योजना के सूक्ष्म सिंचाई निर्माता के पंजीकरण Application के BIS Tab में आईएस 14151:1999 के
साथ/स्थान पर आईएस 17425:2020 का समावेश भी करावें।
11. उप निदेशक उद्यान, शष्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
12. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
13. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....
14. उप निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
15. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार).....

Signature valid (विस्तार)

Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Joint Director
Date: 2023.03.19 11:28:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3063330



राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.ext.hort@rajasthan.gov.in)



क्रमांक: प.5 (5)आ.उ./PMKSY -MI /GL/2022-23 /7036-7080
उप निदेशक उद्यान,
समस्त..... ।

दिनांक: 23/03/23

विषय:—राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)—Per Drop More Crop (पीडीएमसी) अर्न्तगत देय अनुदान राशि के भुगतान बाबू ।।
प्रसंग:—उद्यान आयुक्तालय द्वारा जारी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)—Per Drop More Crop (पीडीएमसी) वर्ष 2022-23 हेतु जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 08.07.2022 के क्रम में ।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु जारी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)—Per Drop More Crop (पीडीएमसी) के दिशा-निर्देशों के बिन्दू संख्या 7 (अंतिम भुगतान) में उल्लेखित बिन्दू संख्या 7.2 अनुसार कृषक द्वारा आंशिक भुगतान व आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुदान राशि संबंधित कृषक से नहीं लिये जाने की स्थिति में कृषक की अनुसंधान तथा डीलर व निर्माता की आपसी सहमति पर उसे देय अनुदान राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता डीलर/ निर्माता के खाते में ऑनलाईन किया जा सकेगा, के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि डीलर व निर्माता की आपसी सहमति हेतु निर्माता द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर की पुष्टि उपरांत ही डीलर को भुगतान बैंक खाते में ऑनलाईन किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।

(राजेन्द्र सिंह)

संयुक्त निदेशक उद्यान (वि०)

क्रमांक: प.5 (5)आ.उ./PMKSY -MI /GL/2022-23 /7036-7080

दिनांक: 23/03/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1..संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड, जयपुर।

2.सचिव, प्लास्टिक मेन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, राजस्थान, एफ-9ए आर्शीयाद कामप्लेक्स, 3 सेक्टर, स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर-302039

Signature valid

Digitally signed by राजेन्द्र सिंह
Chaudhary
Designation: संयुक्त निदेशक उद्यान (वि०) Commissioner
Date: 2023.03.29 19:31:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3434530





**COMMISSIONERATE OF HORTICULTURE
PANT KRISHI BHAWAN, JAIPUR-302005**

(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)



F5(5)CH/PMKSY-MI/GL/2022-23

Date:

**Deputy Director, Horticulture,
District-.....**

Sub.-:Clarification regarding 63,75,90 & 110 mm pipes for Sprinkler on Subsidy.
Ref.-:Point No. B 16 (C) of the operational Guidelines of Rajasthan Micro Irrigation Mission (PDMC-MI).

With reference to above cited subject, it is to inform that on the lines of the clarification issued by MoA&FW, GoI dated 09.12.2022 it is to inform that the Bill of Quantities (BoQ) mentioned in the Operational Guidelines of Per Drop More Crop Scheme are indicative in nature. Keeping in view of the field requirement, district units may allow 63, 75, 90 & 110 mm pipe for sprinkler system. It is also to be clarified that the indicative cost for the same for subsidy calculation may be taken as the lower size of the pipe mentioned in the BoQ to avoid the additional financial implication. For example: the unit cost of >0.4-1.0 ha model for 75 mm size is Rs. 24194 and any farmer seeks subsidy on 90 mm or 110 mm size for the same area model, the unit cost will be taken for subsidy calculation as the same Rs. 24194 (for the lower size) and the additional cost of higher size will be borne by the farmer."

It bears the approval of Commissioner Horticulture.

**(Rajendra Singh)
Joint Director Hort. (Extension)**

Date:

F5 (5)CH/PMKSY-MI/GL/2022-23

Copy to:

- 1.PS to Commissioner Hort.,Rajasthan, Jaipur.
- 2.Joint Director Hort. Division.....
3. M/s.....

Signature Not Verified
(Rajendra Singh)
Digital Signature By: Rajendra Singh
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.31 13:53:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3539447

